PIB MARCH 2017

GS PAPER I

1. नारी शक्ति पुरस्कार 2016

- प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। हमें पता है कि वैदिक या उपनिषद् युग में मैत्रेयी, गार्गी और अन्य महिलाओं ने ब्रह्म के ऊपर विचार करने की योग्यता के आधार पर ऋषियों का स्थान प्राप्त किया था। हजारों ब्राह्मणों की उपस्थिति में विदुषी गार्गी ने ब्रह्म के ऊपर शास्त्रार्थ करने की चुनौती याज्ञवल्क्य को दी थी।
- स्वतंत्रता पूर्व समय में महिलाओं ने शिक्षा और सामाजिक उन्नति के उद्देश्य के लिए नेतृत्व किया था। वर्ष 1950 में भारत दुनिया के ऐसे कुछ देशों में गिना जाता था जिन्होंने अपने नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया था। महिलाओं ने युवा भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। और, आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं सरकार, व्यापार, खेल, सशस्त्र बलों और यहां तक कि वास्तविक रॉकेट विज्ञान में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं ने समस्त मानक तोड़ दिये हैं और प्रतिदिन .नए-नए मानक स्थापित कर रही हैं।

About the prises:

- नारी शक्ति पुरस्कार 1999 में गठित किया गया था ताकि उन महिलाओं का सम्मान किया जा सके जिन्होंने उम्मीदों से बढ़कर काम किया, बंधे-बंधाये ढर्रे को चुनौती दी और महिला सशक्तिकरण में अविस्मरणीय योगदान किया।
- भारत सरकार ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान करती है जिन्होंने महिलाओँ के लिए अभूतपूर्व सेवा की हो।
- महिला विकास और उन्नयन के क्षेत्र में शानदार योगदान करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं और संस्थानों को दिया जा रहा है।
- बाल विकास मंत्रालय ने उन उम्मीदवारों का चयन किया है जो सामाजिक उद्यमिता, कला, बागवानी, योग, पर्यावरण संरक्षण, पत्रकारिता, नृत्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई है।

GENERAL STUDIES HINDI

Prises this year:

- महिलाओं ने इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है तथा पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि सफलता के लिए लैंगिक सीमा का कोई अस्तित्व नहीं होता। समस्त पुरस्कृत लोग सामाजिक उद्यमिता निर्माण, जैविक खपत को प्रोत्साहन देने और सतत पर्यावरण के निर्माण जैसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों में योगदान कर रहे हैं। यह देखना बहुत उत्साहवर्धक है कि इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, जिससे भावी विकास कि रूपरेखा तय होगी।
- इन पुरस्कार विजेताओं ने अंतरिक्ष अनुसंधान, रेलवे, मोटरसाइक्लिंग और पवर्तारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर महिलाओं से जुड़ी रूढ़ीवादी सोच को चुनौती दी है। इन्होंने न केवल चुनौती दी है बल्कि उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्ति की है जहां इतिहास में कभी महिलाओं की भागीदारी नहीं देखी गई। इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों, पहली डीजल ट्रेन चालक सुश्री मुमताज काजी, मोटरसाइक्लिस्ट सुश्री पल्लवी फौजदार और पर्वतारोही सुश्री सुनीता चोकेन ऐसे

युवा भारतीयों के लिये एक उदाहरण हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये विजेता बदलते वैश्विक भारत की एक अलग तस्वीर पेश करते हैं।

- सरकार ने उन महिलाओं और संस्थानों को सम्मानित किया है जो कमजोर और पीड़ित महिलाओं के लिए कार्य कर रहे है और जिन्हें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा देश के सुदूरवर्ती इलाकों में लिंग अनुपात में सुधार के लिए महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति प्रोत्साहित करने, महिला किसानों के लिए विकास कार्य करने तथा वास्तविक विकास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। छांव फाउण्डेशन और शिक्षित रोजगार केन्द्र प्रबंधक समिति, साधना महिला संघ जैसे संस्थानों तथा डॉ .कल्पना शंकर ने अपनी संस्था हैंड' इन हैंड 'के जरिये समाज में महिलाओं की उन्नति के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया है।
- इन पुरस्कार विजेताओं ने यह साबित किया है कि नये विचार अक्सर स्थितिजन्य बाधाओं को पार कर सकते हैं। वित्तीय अवसरों की कमी का सामना कर रही महिलाओं ने धन जुटाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया है। प्राकृतिक आपदाओं के बाद उन्हें स्थानीय लोगों के पुनर्वास के लिए अनूठे तरीके मिल गये हैं। आर्थिक अवसरों की कमी के साथ महिलाओं ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया है। पुरस्कार विजेताओं में से एक 'शरन' की स्थापक डॉ .नन्दिता शाह का उद्देश्य मधुमेह मुक्त भारत बनाना है। एक टैक्सटाइल डिजाइनर सुश्री कल्याणी प्रमोद बालाकृष्णन ने पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देकर गरीब बुनकरों की मदद की है।
- सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जीवन में सुधार लाने के लिए दशकों तक काम किया है। लोगों ने अपने घरों के आराम को छोड़कर लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष किया है और उनका साथ दिया है। परिवर्तन धीरे-धीरे आता है लेकिन इन महिलाओं और संस्थानों ने यह साबित कर दिया है कि संगठित प्रयत्नों से सकारात्मक बदलाव आता है। इन लाभार्थियों ने यह साबित किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो कुछ भी संभव है। सुश्री टीयाशा अद्या और सुश्री बानो हरालु ने मत्स्य विडाल के शिकार पर रोक लगाने के लिए संघर्ष किया। सुश्री वी.नानाम्ल ने योग की शिक्षा देने के लिए बेहतरीन योगदान दिया। आज उनके विद्यार्थी देशभर में योग की शिक्षा देने के कार्य में जुटे हुए हैं।
- इस वर्ष के नारी शक्ति पुरस्कार ने हमारे देश के एक अलग स्तर को प्रमाणित किया है ये पुरस्कार पाने वाली जीवट महिलाएं अपने समर्पण, विश्वास और प्रेरणा के लिए मिशाल हैं। इन महिलाओँ ने यह साबित किया है कि यदि कोई व्यक्ति सही दिशा में कार्य करे तो लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है। आइए हम लोगों को प्रेरित करें कि वे श्रेष्ठ भारत के लिए जनकल्याण के कार्य जारी रखें।

GENERAL STUDIES HINDI

2. कभी गुमनाम जिंदगी जी रही केसर देवी, नानू देवी जैसी लाखों महिलायें अब हैं 'पॉवरफुल वुमेन'(Rajasthan special)

स्त्री शक्ति के जरिये परिवार,समाज और राष्ट्र को सशक्त तथा समृद्ध बनाने की राजस्थान की विभिन्न कल्याण योजनाओ से लगभग डेढ करोड़ परिवार की महिलाओ के'पॉवरफुल वुमेंन' बनने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। गुमनाम सी अंधेरी जिंदगी जी रही जयपुर की केसर देवी, बीकानेर की नानू देवी जैसी लाखों महिलाओं को 'भामाशाह योजना' के तहत परिवार की मुखिया बना कर उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने से उनके परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

राजस्थान और महिला सशक्तिकरण

दरअसल राजस्थान में इन दिनो महिला सशक्तिकरण को लेकर क्रांति हो रही है। प्रदेश की 'भामाशाह योजना' से दूर दराज के गांव, शहर की महिलायें 'पॉवरफुल वुमेंन' बन रही है। इसका अर्थ यह है कि अब लगभग एक करोड़ 30 लाख परिवारों के अहम फैसलों में मुखिया होने के नाते उनकी भूमिका खास बनती जा रही है। इस योजना के तहत आवश्यक जानकारियों के सत्यापन के बाद परिवार की महिला मुखिया के नाम से बहु उद्देशीय भामाशाह परिवार कार्ड बनाया जाता है। जानकारों का मानना है कि देश में महिला और उनके वित्तीय सशक्तीकरण की सबसे बड़ी भामाशाह योजना से राजस्थान में महिला आत्मनिर्भरता के एक नये युग का सूत्रपात हो रहा है। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का यह 'ड्रीम प्रोजेक्ट' है जिसके तहत महिलाओं को परिवार की मुखिया बना सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले नगद लाभ सीधे उनके बैंक खातों में जमा करवाने और गैर नगद लाभ दिलवाने की अभिनव पहल है। भामाशाह योजना शुरू होने से राजस्थान में युगान्तरकारी परिवर्तन होने जा रहा है। यह योजना देश में अपनी तरह की पहली सीधी लाभ हस्तान्तरण योजना है।

भामाशाह और महिलाएं

खास बात यह है कि भामाशाह योजना में राज्य के सभी परिवार अपना नामांकन करवा सकते हैं। भामाशाह योजना में नामांकन और भामाशाह कार्ड बनवाने को लेकर लोगों में अक्सर यह भ्रान्ति रहती है कि यह सुविधा केवल बीपीएल, बीपीएल महिला या किसी वर्ग विशेष के लिए है, जबकि वास्तविकता में इस योजना में राज्य के सभी परिवार अपना नामांकन करा सकते है। साथ ही यदि नामांकन में कोई त्रुटि अथवा अपूर्णता रह जाती है तो उसे संशोधित भी करवाया जा सकता है। इसी प्रकार भामाशाह कार्ड की यह विशेषता है कि यदि कार्ड गुम जाए अथवा चोरी हो जाता है तो भी कोई इसका दुरूपयोग नही कर पाएगा। चूंकि भामाशाह कार्ड बायोमैट्रिक पहचान सहित कोर बैंकिंग सुविधा युक्त है अतः यह पूरी तरह सुरक्षित है और लाभार्थी के खाते में जमा राशि उसके अलावा अन्य किसी के द्वारा निकालना संभव नही है। नामांकित परिवारों को संबंधित ग्राम पंचायत/शहरी निकाय के माध्यम से भामाशाह कार्ड निःशुल्क देने का प्रावधान है। सूत्रो के अनुसार ऐसे परिवार जिनका भामाशाह योजना में नामांकन होना है अथवा जिन्हे भामाशाह कार्ड जारी नही हुआ है उन परिवारों अथवा सदस्यों को सभी राजकीय सेवाएं आगामी आदेश तक पूर्व की तरह ही मिलती रहेंगी।

राज्य सरकार द्वारा भामाशाह योजना में आवश्यक बदलाव कर इसे अधिक बड़े रूप में और अधिक व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है और इसे प्रधानमंत्री की जन-धन योजना से भी जोड़ा गया है। भामाशाह योजना का उद्देश्य सभी राजकीय योजनाओं के नगद एवं गैर नगद लाभ सीधा पारदर्शी रुप से प्रत्येक लाभार्थी को पहुंचाना है। यह योजना के अंतर्गत राशन कार्ड, पेन्शन, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रावृत्ति पाने वाले लाभार्थियों को भी सम्मिलित किया जायेगा। यह योजना परिवार को आधार मानकर उनके वित्तीय समावेश के लक्ष्य को पूरा करती है और इसके तहत हर परिवार को भामाशाह कार्ड दिया जाएगा जो उनके बैंक खातों से जुड़े होंगे। यह बैंक खाता परिवार की मुखिया,जो कि महिला होगी के नाम से होगा और वह ही इस खाते की राशि को परिवार के उचित उपयोग में कर सकेगी। यह कार्ड बायो-मैट्रिक पहचान सहित कोर बैकिंग को सुनिश्चित करता है।

इसके अन्तर्गत, प्रत्येक परिवार का सत्यापन किया जाएगा और पूरे राज्य का एक समग्र डेटाबेस बनाया जाएगा। इसके माध्यम से जाली कार्डों की भी जांच की जाएगी। विभिन्न विभागों द्वारा पात्राता के लिए सभी जनसांख्यिकी और सामाजिक मापदण्डों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। - आधिकारिक आंकड़ो के अनुसार अब तक राज्य के एक करोड़ 35 लाख परिवारों के 4 करोड़ 62 लाख व्यक्तियों का नामांकन हो चुका है एवं उन्हे बहुउद्देश्यीय भामाशाह परिवार पहचान कार्ड आवंटित किए

जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस के तहत बैंक खातों में 4700 करोड़ रूपये का लाभ हस्तातंरित हो चुका है।

जयपुर जिले की ग्राम पंचायत जमवारगढ़ की बीपीएल परिवार की बुजुर्ग श्रीमती केसर देवी मानती है भामाशाह कार्ड ने उन्हें एक नई पहचान दी है। अब भामा शाह कार्ड उनके लिये जादुई चिराग बन गया है क्योंकि केवल भामाशाह कार्ड के जरिए ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह बीकानेर पंचायत समिति की बंबलू ग्राम पंचायत की बैसाखियों के सहारे चलने वाली नानू देवी मानती है भामाशाह कार्ड उनकी लाठी है, भले ही वह चलने फिरने से लाचार हैं, लेकिन यह कार्ड उन्हें हर काम में सहारा देता है, चाहे वह पेंशन प्राप्त करना हो या कोई और कार्य। कार्ड के कारण उनमें नया आत्म विश्वास से भर गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह सुविधा अटल सेवा केन्द्र तथा ई-मित्र केन्द्रों पर स्थाई रूप से उपलब्ध है। जहां किसी परिवार के सभी सदस्य एक साथ जाकर आधार कार्ड व बैंक खाता संख्या के अलावा आवश्यक जानकारी देकर नामांकन करा सकते हैं। यदि किसी परिवार का बैंक खाता नही हो तो उसे भी ई-मित्र केन्द्र पर खुलवाने की सुविधा उपल्ब्ध है। ई-मित्र केन्द्र या भामाशाह योजना की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी कराया जा सकता है। नामांकन और कार्ड से संबंधित समस्याओं व शिकायतों के समाधान के लिए भामाशाह का प्रबंधक जिला कलेक्टर और सांख्यिकी अधिकारियों को इसका अधिकारी और उपखंड अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

परिवार का कोई भी सदस्य अगर अपना व्यक्तिगत कार्ड बनवाने का इच्छुक हो तो वह 30 रुपये का शुल्क जमा करवाकर यह कार्ड बनवा सकता है। बीपीएल परिवार की महिला मुखिया को सरकार द्वारा भामाशाह कार्ड बनवाने पर दो किश्तों में 2 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो महिला मुखिया के खाते में जमा करवा दी जाती है। इसकी पहली किश्त के रुप में एक हजार रुपये तथा छः महीने बाद दूसरी किश्त के रुप में लाभार्थी के खाते में एक हजार रुपये डालने का प्रावधान किया गया है।

भामाशाह योजना में पेंशन और छात्रावृति जैसे नगद लाभ तथा राशन सामग्री जैसे गैर नगद लाभों के वितरण की शुरूआत हो चुकी है। परिवारों के नामांकन के बाद सत्यापन और भामाशाह परिवार कार्ड बनने की प्रक्रिया के बीच पेंशन, छात्रावृति व राशन कार्ड से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों के आंकड़ों के साथ भामाशाह के आंकड़ों का मिलान करते हुए इनमें एकरूपता लाई जा रही है। इससे परिवारों के बारे में दर्ज जानकारी से पेंशन, छात्रावृति व राशन सामग्री के पात्र वर्ग को 'नगद और गैर नगद लाभ 'का पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित होगा। भविष्य में इस दूरदर्शी योजना में विभिन्न विभागों के अलग-अलग लाभ भी जोड़े जाएंगे। सूत्रो के अनुसार दरअसल इस योजना की परिकल्पना श्रीमती राजे ने अपने पिछले शासनकाल वर्ष 2008 में 'आधार कार्यक्रम' से बहुत पहले की थी।

भामाशाह योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय-ई-गवर्नेंस का" स्वर्ण पुरस्कार "राजस्थान को प्रदान किया गया था। सूत्रों के अनुसार अब इस योजना के लाभ व्यापक पैमाने पर नजर आने लगा है।

यह आप पेपर I या पेपर III में उपयोग ले सकते है

2. महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर समानता

GENERAL STUDIES HINDI

इस वर्ष महिला दिवस का विषय "कार्यस्थल की दुनिया में समानता- वर्ष 2030 तक दुनिया में महिला-पुरुष अनुपात 50-50 करने का लक्ष्य" पर केन्द्रित है।

- यद्यपि कार्यस्थल की दुनिया एवं माहौल महिलाओं के लिए तेज़ी से बदल रहा है, इसके बावजूद, महिलाओं के लिए'कार्यस्थल पर समानता' हासिल करने के लक्ष्य को पाने के लिए अभी हमे लंबी दूरी तय करनी है। हमें महिलाओं के वेतन, अवकाश, विशेषरूप से भुगतान सहित मातृत्व एवं शिशु देखभाल अवकाश, परिवार एवं बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए विशेष अवकाश, गर्भावस्था के दौरान संरक्षण, स्तनपान कराने वाली महिलाओं की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता और कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण के क्षेत्र में महिलाओं के लिए पूर्ण समानता की ओर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
- हमें अपने घरों की लड़कियों को पारंपरिक शिक्षक, बैंकर आदि नौकरियों के अलावा रोज़गार की व्यापक श्रेणियों (जैसे सेना, खेल आदि) में आगे बढ़ने और रोज़गार हासिल करने के लिए भी प्रेरित करने की ज़रूरत है। हमें अपनी बेटियों को यह सिखाने की आवश्यकता है कि वे बड़े सपने देखें और बड़ा कार्य करने की दिशा में सकारात्मक दृष्टि से कार्य करें।
- महिलाओं के करियर में एक अन्य बाधा आत्मविश्वास में कमी और पूर्वाग्रह से ग्रसित होना है, जिसकी वजह से वह ख़ुद अपने आप से ही हार रही हैं। शादी, गर्भावस्था, शिशु जन्म, स्तनपान एवं शिशु देखभाल आदि को महिलाओं के करियर में बाधा या किसी रोक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
- अपने जीवन में विभिन्न भूमिकाएं निभाने की वजह से आजकल महिलाएं कार्यस्थल, घर एवं समाज में विभिन्न चुनौतियां का सामना कर रही हैं। हम महिलाओं से अपेक्षा रखते हैं कि वे मेहनत एवं ईमानदारी से नौकरी करने के अलावा गृहिणी, बेटी, बहु, पत्नी एवं समाज में निर्धारित कई अन्य भूमिकाओं को शानदार तरीके से निभाए। परिणामस्वरूप, परिवार एवं आसपास के लोगों की अपेक्षाओं को पूरी न कर पाने की वजह से ज़्यादातर महिलाएं अपराधबोध से ग्रसित हैं। इसकी वजह से महिलाओं में चिंता, अवसाद, खाने का विकार आदि समस्याएं बढ़ रही हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं बेहतर माहौल के अलावा, महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण एवं व्यवहार में भी व्यापक स्तर पर बदलाव लाने की आवश्यकता है। घर एवं कार्यस्थल, दोनों ही जगहों पर काबिले-तारीफ़ भूमिका निभाने के लिए, महिलाओं के ऊपर उनकी सीमा से अधिक कार्य करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए।
- हमें कार्यस्थल पर महिलाओं की सफलता को सकारात्मक नज़रिए के साथ स्वीकृति देने की आवश्यकता है। यदि कोई महिला सफल होती है तो उसे घर एवं कार्यस्थल दोनों ही जगहों पर विरोध एवं शत्रुता का सामना करना पड़ता है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि यदि किसी परिवार की महिला भी कार्य करती है तो उस परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक रूप से काफी अधिक सुधार हो जाता है। महिलाओं को अपने पेशेवर कार्य के लिए दोषी महसूस नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों अभिभावकों का घर से बाहर कार्य करना, बच्चों के लिए खासतौर पर लड़कियों के समग्र विकास के लिए काफी अच्छा होता है। "वह करियर को लेकर अत्यधिक केन्द्रित एवं सकारात्मक है", इस वाक्य को आज भी समाज में नकारात्मक तारीफ के रूप में देखा जाता है।
- हमें युवाओं के बीच ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है कि वे बढ़े होने के क्रम में ही महिलाओं के साथ कार्य करने और कार्यस्थल पर उनके बेहतर सहयोगी बनने में गर्व महसूस करें। महिलाओं के कार्य करने को नकारात्मक नज़रिए से देखने के बजाय, उनकी प्रतिभा और कार्य की सराहना करें। हमें ऐसे परिवारों की आवश्यकता है, जहां स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध

कराने के लिए पुरुष भी घरेलू ज़िम्मेदारियों को महिलाओं के साथ मिलकर साझा करें। जिन परिवारों में लिंग के आधार पर भेदभाव कम है (जैसेः मां कार्यस्थल पर नौकरी के लिए जाती हैं और पिता घरेलू ज़िम्मेदारियां संभालते हैं), ऐसे परिवारों के बच्चे अधिक आत्मबल से परिपूर्ण होते हैं। जैसे कि एक बार प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें अपने लड़कों के व्यवहार में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने के ज़रूरत है ताकि वे महिलाओं का सम्मान करना सीख सकें। युवा पीढ़ी के पुरुषों को अपने जीवनसाथी के करियर में अहम योगदान देना चाहिए। हमें अपने लड़कों को जीवन में अपने व्यक्तित्व को सौम्य एव सहृदय बनाने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों और बुज़ुर्गों की सेवा करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना आदि कार्य सिखाने चाहिए ताकि वे भी ज़रूरत पड़ने पर महिलाओं के समान इन पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को अपना कर्तव्य समझकर निभा सकें। हमें अपने लड़कों को संतुलित परिवार एवं करियर के मूल्यों को सिखाना चाहिए। हमें उनको यह समझाने की ज़रूरत है कि शरीर की संपूर्ण रचना और शारीरिक दृष्टि से महिलाओं के भी समान सपने और महत्वाकांक्षाएं हैं। लड़कियों को कठोर एवं मज़बूत होने की प्रेरणा देने के अलावा, हमें लड़कों के प्रति अपने रवैये को बदलने की भी आवश्यकता है।

- पिछले कुछ समय के दौरान, उच्च श्रेणी की नौकरियों एवं वित्तीय सशक्तता में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में व्यापक सुधार दर्ज किया गया है, इसके बावजूद, हमें पेशवर महिलाओं के प्रति अपने अचेतन पूर्वाग्रहों को बदलने की ज़रूरत है। महिलाओं में व्यावहारिक परिवर्तन लाने की भी ज़रूरत है। महिलाओं को ख़ुद के भीतर मौजूद अपार संभावनाओं को लेकर आश्वस्त एवं गौरवान्वित होना चाहिए। महिलाओं के लिए समानता का मतलब केवल समान वेतन नहीं, बल्कि समान अवसर, करियर चुनने की समान स्वतंत्रता और विभिन भूमिकाओं को अदा करना होना चाहिए।
- महिला दिवस पर, पूर्वाग्रह एवं असमानताओं को चुनौती और महिलाओं की उपलब्धियों की यात्रा के जश्न द्वारा "बदलाव के लिए सशक्त बनने" (Be bold for change) की दिशा में महिलाओं को समाधान निकालना चाहिए। आओ, सभी बाधाओं पर काबू पाने के बाद, हम करियर के क्षेत्र में महिलाओं की जीत को सुदृढ़ बनाएं एवं उसका समर्थन करें। महिलाओं के लिए नई रोज़गार के अवसरों का सृजन करें, बदलाव के लिए अत्यंत सशक्त एवं खुले विचारों वाले बनें !

GENERAL STUDIES HINDI

GS PAPER II

1. दूसरे राज्यों से आए लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश

सन्दर्भ

सरकार द्वारा गठित किये गये एक पैनल ने यह कहते हुए देश भर में दूसरे राज्यों से आए लोगों) माइग्रेंट (के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी एवं नीतिगत रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश की है कि इस तरह के लोग आर्थिक विकास में व्यापक योगदान करते हैं। पैनल का कहना है कि इसके मद्देनजर दूसरे राज्यों से आए लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है।

क्या कहा पैनल ने

- ✓ कार्यदल ने अपनी सिफारिश में कहा है कि दूसरे राज्यों से आए लोगों की जाति आधारित गणना के लिए भारत के महापंजीयक प्रोटोकॉल में संशोधन करने की जरूरत है ताकि जिस राज्य में वे अब निवास कर रहे हैं वहां उन्हें परिचारक (अटेंडेंट) संबंधी लाभ मिल सकें।

- ✓ कार्यदल ने यह भी सिफारिश की है कि दूसरे राज्यों से आए लोगों को पीडीएस के अंतर-राज्य परिचालन की सुविधा प्रदान करते हुए उन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ हासिल करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए जहां अब वे निवास कर रहे हैं।
- ✓ आवाजाही की आजादी और देश के किसी भी हिस्से में निवास करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लेख करते हुए कार्यदल ने सुझाव दिया है कि राज्यों को स्थायी निवास की आवश्यकता समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि कामकाज और रोजगार के मामले में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो।
- ✓ राज्यों से यह भी कहा जायेगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत वार्षिक कार्य योजनाओं में दूसरों राज्यों से आए लोगों के बच्चों को शामिल करें, ताकि शिक्षा का अधिकार उन्हें लगातार मिलता रहे।
- ✓ दूसरों राज्यों से आए लोगों द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान अपने-अपने राज्यों में भेजे गये 50,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का उल्लेख करते हुए कार्यदल ने सुझाव दिया है कि धन हस्तांतरण की लागत को कम करते हुए डाकघरों के विशाल नेटवर्क का कारगर उपयोग करने की जरूरत है, ताकि उन्हें अपने राज्य में धन भेजने के लिए अनौपचारिक उपायों का इस्तेमाल न करना पड़े।

2. अशांति की संस्कृति के प्रचार की बजाय, तार्किक विचार विवाद में भाग लें-विमर्श और वाद-राष्ट्रपति :विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षक

हमारे प्रमुख उच्चतर शिक्षण संस्थान ऐसे माध्यम हैं, जिनसे भारत अपने को सुविज्ञ समाज के रूप में स्थापित कर सकता है। ज्ञान के इन मंदिरों में रचनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन की गूंज होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को अशांति की संस्कृति के प्रचार की बजाय, तार्किक विचार-विवाद में भाग लेना चाहिए।-विमर्श और वाद उन्हें हिंसा और अशांति के भंवर में फंसे देखना दुखद है।

- ➢ राष्ट्रपति ने कहा कि' असहिष्णु भारतीय 'के लिए भारत में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
- ➢ भारत प्राचीन काल से ही स्वतंत्र विचार, भाषण और अभिव्यक्ति का केंद्र रहा है। विभिन्न विचाराधाराओं द्वारा खुला वाद-विवाद और बहस के साथ-साथ चर्चा किया जाना भी हमारे समाज की हमेशा से विशेषता रहा है।
- ➢ अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। वैध आलोचना और असहमति की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए।
- ➢ राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज सुननी चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और उसकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए तथा चिंताओं को मिटाना चाहिए।
- ➢ हमारे सांसदों को कभी भी जनता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्हें कानून बनाने के मूलभूत कार्य और जनता की चिंता के विषयों को उठाने साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान तलाशने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निर्वाचित पद पर आसीन पर किसी भी व्यक्ति को यह नहीं समझना चाहिए कि उसे मतदाताओं द्वारा उस पद पर कब्जा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनमें से प्रत्येक को मतदाताओं के पास जाना और उनके मत और समर्थन के अनुनय करना पड़ा है। जनता द्वारा राजनीतिक व्यवस्था और निर्वाचित लोगों पर व्यक्त किए गए विश्वास के साथ धोखा नहीं होना चाहिए।
- ➢ राष्ट्रपति ने कहा कि वह ऐसे किसी भी समाज या राज्य को सभ्य नहीं मानते, अगर उसके नागरिकों का आचरण महिलाओं के प्रति असभ्य है। जब हम किसी महिला के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो हम अपनी सभ्यता की आत्मा को घायल करते हैं। केवल हमारा संविधान

ही महिलाओं को समान अधिकार प्रदान नहीं करता, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा में भी नारियों को देवी का स्थान दिया गया है। हमारी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता होनी चाहिए।

- किसी भी समाज की अग्नि परीक्षा महिलाओं और बच्चों के प्रति उसका दृष्टिकोण होता है। उन्होंने कहा कि भारत को इस परीक्षा में विफल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय उद्देश्य और देशभक्ति, जो अकेले ही हमारे देश को निरंतर प्रगति और समृद्धि की राह पर अग्रसर करने में समर्थ हैं, को नए सिरे से खोजने के सामूहिक प्रयास करने का समय आ चुका है। राष्ट्र और जनता सदैव पहले आने चाहिए
- हमारे संवैधानिक मूल्य, युवा आबादी और उद्यमिता की योग्यताएं साथ ही साथ कड़ा परिश्रम करने करने की क्षमता हमें वे मूलभूत तत्व प्रदान करती हैं, जो त्वरित प्रगति और साथ ही साथ परवाह करने वाले और करुणामय समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। पिछले 70 वर्षों में भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। उन्हें विश्वास है कि जब हम मुक्त लोकतांत्रिक एवं समावेशी समाज को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, तो अगले 10 बरसों में हम इससे भी ज्यादा प्रगति के साक्षी बनेंगे।

3. सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन (एआईसी) सशक्तीकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य देशभर में दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित और सुखद वातावरण तैयार करना है। इस अभियान का शुभारंभ03 दिसम्बर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

- यह अभियान **विकलांगता के सामाजिक मॉडल के उस सिद्धांत पर आधारित** है कि किसी व्यक्ति की सीमाओं और अक्षमताओं के कारण नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के तरीके के कारण विकलांगता है। शारीरिक, सामाजिक, संरचनात्मक और व्यवहार संबंधी बाधाएं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में दिव्यांगजनों को समान रूप से भागीदारी करने से रोकती हैं। बाधारहित वातावरण से दिव्यांगजनों के लिये सभी गतिविधियों में समान प्रतिभागिता की सुविधा होगी और इससे स्वतंत्र और सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने के लिये उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। इस अभियान में एक समावेशी समाज बनाने का दृष्टिकोण है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की प्रगति और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हों ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यापक पहुंच की सुविधा के लिए इस अभियान को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया हैवातावरण तैयार करना :, परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र। (आईसीटी)
- सुगम्य भारत अभियान के सुगम्य वातावरण निर्मित करने के कारक में निम्नलिखित लक्ष्य निहित है :

)i)50 शहरों में कम से कम 25 से 50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और इस वर्ष के अंत तक उन्हें पूरी तरह से सुगम्य बनाना।

)ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सभी राज्यों की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों में से 50 प्रतिशत भवनों को दिसम्बर 2018 तक पूरी तरह से सुगम्य बनाना।

GENERATE STUDIES HINDI

)iii) दिसम्बर 2019 तक राज्यों के उन दस सबसे महत्वपूर्ण शहरों कस्बों के सरकारी भवनों का/ 50 प्रतिशत सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और उन्हें सुगम्य बनाना है जो)1) और)2) में कवर नहीं किए गए।

- सुगम्य भारत अभियान के परिवहन सुगमता के कारक का उद्देश्य सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को तत्काल और मार्च 2018 तक घरेलू हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुगम्य बनाना है। 32 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से 25 में रैंप, सुगम्य शौचालय, ब्रेल लिपि के साथ लिफ्ट और श्रवण संकेत जैसी सुगम्यता की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।
- हमारे देश में परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन रेल है। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक को सुगम्य बनाने के लिए सभी ए-1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जायेगा।
- सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत विभाग का उद्देश्य मार्च 2018 तक सरकारी स्वामित्व के 10 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन वाहक को पूरी तरह से सुगम्य बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य स्वामित्व के राज्य तथा कार्यकारी निदेशकों को मार्च, 2018 तक सरकारी स्वामित्व वाले 10 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से सुगम्य बनाने के निर्देश जारी किए हैं।
- सूचना और संचार प्रणाली की सुगम्यता, सुगम्य भारत अभियान का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस कारक के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों की कम से कम 50 प्रतिशत वेबसाइटों को मार्च, 2017 तक सुगम्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य सरकार की 917 वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए आदेश पहले से ही दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 56 मंत्रालयों विभागों की/100 सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाया जा रहा है।
- विभाग ने हासिल करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए एक ऑनलाइन ''व्यापक सुगम्यता'' का शुभारंभ किया है। विभाग ने सुगम्य भारत अभियान के विभिन्न ''सुगम्य पुस्तकालय'' दृष्टिकोणों की जानकारी प्रदान करने के लिए मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई और रांची में जागरूकता कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं।
- सुगम्यता के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 24 जुलाई 2016 को इंडिया गेट, लोधी गार्डन, वसंत कुंज और साउथ एक्स्टेंशन में एक मोटरसाइकिल रैली' -राइड 4 एक्ससेसिबिलिटी ' आयोजित की गई थी जिसमें600 से अधिक मोटर साइकिल चालकों और 6,000 युवा छात्रों ने/ भाग लिया था।
- डिजिटल जगत में स्थान बनाने के लिए विभाग ब्लॉग्स, रिपोर्ट, सीधे प्रसारण और चित्र आदि के जरिये सोशल मीडिया पर सुगम्य भारत अभियान के बारे में नवीनतम जानकारियां उपलब्ध करा रहा है।

GENERAL STUDIES HINDI

4. हिमाचल प्रदेश में आधार पंजीकरण शतप्रतिशत-

हिमाचल प्रदेश आधार पंजीकरण में शत प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करने वाला देश का छठा राज्य बन गया- है। देश के पहाड़ी राज्यों में विकास के मामले में मॉडल राज्य बनकर उभरे इस उत्तर भारतीय राज्य ने वर्ष2015 में एकत्रित जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर लगभग 72,52,880 नागरिकों को आधार कार्ड प्रदान करके 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है। इससे पहले मात्र दिल्ली ,

तेलंगाना , हरियाणा, पंजाब तथा चण्डीगढ ही इस मील के पत्थर को हासिल कर पाए हैं।

आधार है क्या और लोगों के लिए यह क्यों जरूरी है: --

- आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या , भारत में कहीं भी , व्यक्ति की पहचान और उसके पते का प्रमाण है। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू-की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई .आई.ए.डी.आई. आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं।
- कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यूद्वारा निर्धारि .आई.ए.डी.आई.त सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो , चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो और चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निःशुल्क है। याद रहे, आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र है तथा यह नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है।

आधार कार्ड के लाभ--:--

1. आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है।

2. आधार संख्या से आपको बैंकिंग , मोबाइल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं- की सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी।

3. यह किफायती तरीके व सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य है।
4. यह एक क्रम उत्पन्न संख्या है (रैण्डम) रहित-, जो किसी भी जाति, पंथ , मजहब एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है।

5. आधार प्रत्येक भारतीय की 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान है

6. यह बायोमीट्रिक के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान सिद्ध करता है।
7. यह एक स्वैच्छिक सेवा है जिसका प्रत्येक निवासी फायदा उठा सकता है।

8. प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही विशिष्ट पहचान आधार नम्बर दिया जाएगा।

आधार कार्ड की आवश्यकता और उपयोग :----

आधार कार्ड अब सभी चीजों के लिए जरूरी होता जा रहा है। पहचान के लिए हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता हैं। आधार कार्ड के महत्व को बढ़ाते हुए भारत सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं , जिसमें आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वह काम होना मुश्किल होगा। इस कार्ड को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है , जबकि राशन कार्ड समेत कई और दूसरे प्रमाण पत्र के साथ कई तरह की गड़बड़ियां हुई है और होती रहती हैं।

***आधार नंबर कहां---*:कहां अनिवार्य है-**

1. पासपोर्ट जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।

2. जनधन खाता खोलने के लिये

3. एलपीजी की सब्सिडी पाने के लिये

4. ट्रेन टिकट में छूट पाने के लिए

5. परीक्षाओं में बैठने के लिये जैसे)आईआईटी, जेईई के लिये(

6. बच्चों को नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिये

7. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए आधार जरूरी (लाइफ सर्टिफिकेट)

8. बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा प्रॉविडेंट फंड

9. डिजिटल लॉकर के लिए आधार जरूरी

10. सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए भी अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है।

11. छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी आधार कार्ड के जरिए ही उनके बैंक में जमा करवाई जाएगी।
12. सिम कार्ड खरीदने के लिये भी आधार जरूरी है।

13. आयकर रिटर्न रू आयकर विभाग ने करदाताओं को आधार कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न की ईजांच करने की सुविधा दी है।-

जहां तक हिमाचल प्रदेश में आधार पंजीकरण का प्रश्न है तो राज्य में विद्यमान जनसंख्या को आधार पंजीकरण के अन्तर्गत कवर करने के लिए राज्य के जिला उपमण्डल तथा विकास खण्डों में 240 स्थाई पंजीकरण केन्द्र स्थापित किए गए है। राज्य का अधिकांश हिस्सा ऊंचे पर्वतीय स्थलों से ढका है जिनकी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से दुर्गम , पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों की जनसंख्या को आधार पंजीकरण के अर्न्तगत लाने के लिए सरकारी मशीनरी को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। राज्य के जनजातीय क्षेत्र पांगी, भरमौर

,लाहौल स्पीति तथा किन्नौर क्षेत्र साल के अधिकांश समय में बर्फ से ढंके रहते है जहां एक ओर आवगमन के साधन अत्यन्त कठिन होते हैं , दूसरी ओर बर्फीले क्षेत्रों में लोगों से सम्पर्क साधना तथा उनके सरकारी योजनाओं से जोड़ना देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी कठिन माना जाता है। राज्य सरकार ने सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तथा वृद्व , अपंग तथा असहाय लोगों को आधार पंजीकरण के अंतर्गत लाने के लिए 22 आधार मोबाईल वैनों को उतारा है जोकि लोगों को उनके घर-दरवाजे पर जाकर आधार पंजीकरण के अंतर्गत लाते है। -

GENERAL STUDIES HINDI

राज्य में 5 साल आयु तक के बच्चों को आधार पंजीकरण के अंतर्गत कवर करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 780 कम्प्युटर टेबलेट प्रदान किए गए है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने शिशुओं को पौषाहार प्रदान करने के लिए इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में भेजती है तथा इन शिशुओं के दाखिले में इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में इन शिशुओं की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है जिसे आधार पंजीकरण में प्रयोग किया जाता है। - गांव के केन्द्रीय स्थल में स्थापित इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति से अधिकारियों को उन बच्चों को आधार पंजीकरण में सहायता मिलती है।

सरकार ने सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म लेने वाले बच्चों के आधार पंजीकरण के लिए 20 टैबलेट प्रदान किए हैं , जोकि नवजात शिशु को आधार पंजीकरण के अन्तर्गत कवर करते हैं।

राज्य में शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधार पंजीकरण के अन्तर्गत कवर करने के लिए सरकार ने शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में आधार पंजीकरण शिविर आयोजित किए तथा छात्रों एवं अध्यापकों को आधार पंजीकरण से लिंक किया गया । राज्य के सभी छात्रों की छात्रवृति राशि आधार पंजीकरण से लिंक करके अब सीधे छात्रों के बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। - राज्य में शत प्रतिशत जनसंख्या को आधार पंजीकरण के अन्तर्गत कवर करने के बाद सरकार- ने पायलट परियोजना के अन्तर्गत शिमला, हमीरपुर तथा कुल्लू जिलों में जन्में नवजात बच्चों को अस्पताल में ही आधार पंजीकरण के अंतर्गत कवर करके स्वास्थ्य संस्थान से डिस्चार्ज से पहले ही आधार नम्बर मुहैया करवाया जा रहा है। सरकार ने नवजात बच्चों के आधार पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियें को पर्याप्त प्राशिक्षण प्रदान करने के बाद टेबलेट तथा बायोमीट्रिक मशीनें प्रदान की है तथा सरकार ने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके अर्न्तगत नवजात शिशु के माता पिता के आधार कार्ड की बायोमीट्रिक मशीनों से पुष्टि कर- के इसे बच्चे के जन्म से जोड़ दिया जाएगा। यह आधार कार्ड5 साल तक वैध रहेगा जिसके बाद इसे नए सिरे से अपडेट करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त , 0-5 वर्ष के बच्चों को कवर करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। प्रदेश में राशन कार्डों पर उपभोक्ताओं के नाम व पते के साथ साथ आधार कार्ड नंबर भी दर्ज होगा। सभी सरकारी राशन दुकानों से सब्सिडी पर- राशन लेने के लिए आधार कार्डको अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी लोगों को 30 जून तक अपना पंजीकरण पूरा करने का समय दिया है। राज्य में पहले चरण में वर्ष 2012 तक लगभग 36.52 लाख लोगों को आधार पंजीकरण के अन्तर्गत कवर किया गया ।

राज्य में आधार पंजीकरण की शुरूआत हिमाचल दिवस पर 25 जनवरी, 2011 को राज्य सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बीच हुए अनुबन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शुरू की गई थी। इस पंजीकरण के लिए वर्ष 2011 में राज्य को चार खण्डों में बांटा गया ताकि प्रत्येक खण्ड में बराबर जनसंख्या रखी जा सके। पहले खण्ड में कांगड़ा तथा चम्बा दूसरे खण्ड में ऊना , हमीरपुर , विलासपुर , तीसरे खण्ड में मण्डी, कुल्लू , लाहौल स्पीति तथा चौथे खण्ड में शिमला , सोलन , सिरमौर तथा किन्नौर रखे गए। प्रत्येक खण्ड के लिए एक इनरोलमैंट एजेन्सी बनाई गई तथा प्रत्येक पंचायत स्तर पर इनरोलमैंट सेंटर स्थापित किए गए। प्रत्येक इनरोलमैंट स्टेशन पर दो लैपटॉप, फिंगर प्रिंट ,स्कैनर , इरिश स्कैनर तथा आधुनिक कैमरा प्रदान किए गए।

राज्य में अक्टूबर 2013 तक 75 प्रतिशत जनसंख्या को आधार पंजीकरण के अंतर्गत कवर करके देश के आठ अग्रणी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली थी। शत प्रतिशत आधार पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। -

उल्लेखनीय है कि इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले बाकी सभी मैदानी राज्य हैं , जिनके मुकाबले हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यन्त कठिन है तथा बर्फवारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वर्किंग सीजन भी काफी कम है।

5. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद विधेयक (संशोधन)2017 लोक सभा में पेश

विधेयक के प्रमुख प्रावधान* :----

- इस विधेयक में अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटारों के लिए अलग अलग अधिकरणों की जगह एक स्थायी अधिकरण (विभिन्न पीठों के साथ) की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य तक होंगे।
- अध्यक्ष के कार्याकाल की अवधि पांच वर्ष अथवा उनके 70 वर्ष की आयु होने तक होगी। अधिकरण के उपाध्यक्ष के कार्याकाल की अवधि तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल जल विवादों के निर्णय के साथ सह-समाप्ति आधार पर होगा।
- यह भी प्रस्ताव है कि अधिकरण को तकनीकी सहायता देने के लिए आकलनकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी जाएगा, जो केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा में सेवा में सेवारत विशेषज्ञों में से होंगे और जिनका पद मुख्य इंजीनियर से कम नहीं होगा।
- जल विवादों के निर्णय के लिए कुल समयवधि अधिकतम साढ़े चार वर्ष तय की गई है। अधिकरण की पीठ का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होगा। इसके निर्णयों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2017 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णयन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और वर्तमान कानूनी तथा संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करने का विचार है। विधेयक में विवाद को अधिकरण को भेजने से पहले एक विवाद समाधान समिति के माध्यम से बातचीत द्वारा जल विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक तंत्र बनाने का भी प्रस्ताव है। यह तंत्र केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा जिसमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2017 की आवश्यकता क्यों?:---

उल्लेखनीय है कि राज्यों द्वारा जल की मांग बढ़ने के कारण अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बढ़ रहे हैं। हालांकि, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) में ऐसे विवादों के समाधान के कानूनी ढांचे की व्यवस्था है, फिर भी इसमें कई कमियां हैं। उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए एक अलग अधिकरण स्थापित किया जाता है। आठ अधिकरणों में से केवल तीन ने अपने निर्णय दिए हैं जो राज्यों ने मंजूर किए हैं। हालांकि, कावेरी और रावी-व्यास जल विवाद अधिकरण क्रमशः 26 और 30 वर्षों से बने हुए हैं फिर भी ये अभी तक कोई सफल निर्णय देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा अधिनियम में किसी अधिकरण द्वारा निर्णय देने की समय-सीमा तय करने अथवा अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य की अधिकतम आयु तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकरण के अध्यक्ष के कार्यालय में कोई पद रिक्त होने या सदस्य का पद रिक्त होने की स्थिति में कार्य को जारी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही अधिकरण की रिपोर्ट प्रकाशित करने की कोई निश्चित समय-सीमा है। इन सभी कमियों के चलते जल विवादों के विषय में निर्णय देने में विलंब होता रहा है।

6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

In news

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित कर दिया है। यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बनाई गई थी। इस प्रकार, यह नीति बदलते सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी-विज्ञान परिदृश्य में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 15 साल के अंतराल के बाद अस्तित्व में आई है।

- भारत सरकार ने नीति निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक सहभागितापूर्ण और परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया

- नीति का लक्ष्य सभी विकास नीतियों में एक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल दिशानिर्देश के माध्यम से सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना, तथा इसके परिणामस्वरूप किसी को भी वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना बेहतरीन गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करनाहै।
- इसे उपलब्धता का विस्तार करके,स्वास्थ्य देखभाल प्रदानगी की गुणवत्ता में सुधार करके तथा लागतकोकम करकेप्राप्त कियाजा सकता है। नीति के व्यापक सिद्धांत व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा और नैतिकता,निष्पक्षता,सामर्थ्य, सार्वभौमिकता, रोगी केन्द्रित तथा परिचर्या गुणवत्ता, जवाबदेही और बहुलवाद पर आधारित हैं।
- नीति में रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर बल देते हुए रुग्णता-देखभाल की बजाय आरोग्यता पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा की गई है। हालांकि नीति में जन स्वास्थ्य प्रणालियों की दिशा बदलने तथा उसे सुदृढ़ करने की मांग की गई है, इसमें निजी क्षेत्र से कार्यनीतिक खरीद पर विचार करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की भी नए सिरे सेअपेक्षा की गई है। नीति में निजी क्षेत्र के साथ सुदृढ़ भागीदारी करने की परिकल्पना की गई है।
- एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, नीति में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। नीति में उत्तरोत्तर वृद्धिशील आश्वासन आधारित दृष्टिकोण की वकालत की गईहै। इसमें' स्वास्थ्यऔर आरोग्यता केन्द्रों 'के माध्यम से सुनिश्चित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का बड़ा पैकेज प्रदान करने की परिकल्पना की गई है तथा यह अत्यधिक चयनित से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाताहै,जिसमें प्रमुख एनसीडी, मानसिक स्वास्थ्य, जराचिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, उपशामक परिचर्यातथा पुनर्वास देखभाल सेवाएं शामिल हैं। इसमें प्राथमिक परिचर्या के लिए संसाधनों के व्यापक अनुपात) दो-तिहाई या अधिक(आवंटन करने की हिमायत की गई है। इसका उद्देश्य प्रति 1000 की आबादी के लिए 2 बिस्तरों की उपलब्धता इस तरह से सुनिश्चित करनाहै ताकि आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर इसे उपलब्ध कराया जा सके। इस नीति में उपलब्धता तथा वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी सार्वजनिक अस्पतालोंमें नि:शुल्क दवाएं, नि:शुल्क निदान तथा नि:शुल्क आपात तथा अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।
- नीति में विशिष्ट मात्रात्मक लक्ष्यों को भी निर्धारित किया गया है,जिनका उद्देश्य 3 व्यापक घटकों अर्थात्
  (क) स्वास्थ्य स्थिति और कार्यक्रम प्रभाव,
  (ख) स्वास्थ्य प्रणाली निष्पादन, तथा
  (ग) स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण के द्वारा बीमारियों को कम करना है जो नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप हों।

नीति में जिन कुछेक प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है वे निम्नलिखित हैं:-

1. *जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन*

- जन्म के समय आजीवन प्रत्याशा को5 से बढ़ाकर 2025 तक 70 करना।
- 2022 तक प्रमुख वर्गों में रोगों की व्याप्तता तथा इसके रुझान को मापने के लिए विक्लांगता स मायोजित आयु वर्ष (डीएएलवाई) सूचकांक की नियमित निगरानी करना।

- 2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर टीएफआर को घटाकर1 तक लाना।

2. *आयु और/या कारणों द्वारा मृत्यु दर*

- 2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 करना तथा एमएमआर के वर्तमान स्तर को 2020 तक घटाकर 100 करना।
- नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को 2025 तक घटाकर "एक अंक' में लाना।
-
- रोगों की व्याप्तता / घटनाओं में कमी लाना
- 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसे एचआईवी / एड्स के लिए 90:90:90 के लक्ष्य के रूप में भी परिभाषित किया गया है अर्थात् एचआईवीपीड़ित सभी 90% लोग अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में जानते हैं – एचआईवी संक्रमण से पीड़ित सभी 90% लोग स्थायी एंटीरोट्रोवाइरल चिकित्सा प्राप्त करते हैं तथा एंटीरोट्रोवाइरल चिकित्सा प्राप्त करने वाले सभी 90% लोगों में बॉयरल रोकथाम होगी।
- 2018 तक कुष्ठ रोग,2017 तक कालाजार तथा 2017 तक स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में लिम्फेटिक फिलारिएसिस का उन्मूलन करना तथा इस स्थिति को बनाए रखना।
- क्षयरोग के नए स्पुटम पाजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना तथा नए मामलों की व्याप्तता में कमी लाना ताकि 2025 तक इसके उन्मूलन की स्थिति प्राप्त की जा सके।
- 2025 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता को घटाकर25/1000 करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर एक-तिहाई करना।
- हृदवाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को 2025 तक घटाकर 25%करना।

इस नीति में गैर-संचारी रोगोंकी उभरती चुनौतयों से निपटने पर ध्यान केनद्रित किया गया है। यह समनवित दृष्टिकोणका समर्थन करती है,जिसमें द्वितीयक स्तर पर रोकथाम सहित सर्वाधिक प्रचलितएनसीडी की जांच से रुग्णता को कम करने और रोकी जा सकने वाली मृत्यु दर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा।

GENERAL STUDIES HINDI

नीति में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्पना की गई है जिसमें क्रॉस रेफरल, सह-स्थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियां शामिल हैं। इसमें प्रभावी रोकथाम तथा चिकित्सा करने की व्यापक क्षमता है, जो सुरक्षित और किफायती है। योग को अच्छे स्वास्थ्य के संवर्धन के भाग के रूप में स्कूलों और कार्यस्थलों में और अधिक व्यापक ढंग से लागू किया जाएगा।

विनियामक परिवेश में सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए नीति में मानक तय करने के लिए प्रणालियां निर्धारित करने तथा स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करनेकी परिकल्पना की गई है। यह नीति रोगी आधारित है और इसमें रोगियों को उनकी सभी समस्याओं का निदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नीति में औषधियों और उपकरणों का सुलभता से विनिर्माण करने, *मेक इन इंडिया* को प्रोत्साहित करने तथा तथा चिकित्सा शिक्षा में सुधार करनेकी भी अपेक्षा की गई है। यह नीति व्यक्ति आधारित है, जो चिकित्सा परिचर्या चाहता है।

नीति में मध्य स्तरीयसेवा प्रदायक कैडर,नर्स प्रेक्टिशनरों,जन स्वास्थ्य कैडर का विकास करने की हिमायत की गई है ताकिउपयुक्त स्वास्थ्य मानव संसाधन की उपलब्धता में सुधार हो सके।

नीति में स्वास्थ्य सुरक्षा का समाधान करने तथा औषधियों और उपकरणों के लिए *मेक इन इंडिया* को लागू करने की परिकल्पना की गई है। इसमें जन स्वास्थ्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा उपकरणों तथा उपस्करों के लिए अन्य नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है।

नीति में नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट प्रदानगी तथा उपलबधियों सहित एक समयबद्ध कार्यान्वयन ढांचा लागू करने की परिकल्पना की गई है।

7. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) आईएलओ (के न्यूनतम आयु कनवेंशन, 1973 (नंबर 138) और बालश्रम का सबसे खराब स्वरूप कनवेंशन, 1999 (नंबर 182) के अनुमोदन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के दो मौलिक कनवेंशनों रोजगार पाने की न्यूनतम उम्र से संबंधित न्यूनतम आयु कनवेंशन) नंबर 138) और मजदूरी के सबसे खराब स्वरूपों के उन्मूलन के लिए निषेधाज्ञा एवं तत्काल कार्रवाई से संबंधित बाल श्रम का सबसे खराब स्वरूप कनवेंशन) नंबर 182) के अनुमोदन को अपनी मंजूरी दे दी है। भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) आईएलओ (का संस्थापक सदस्य है। यह 1919 में अस्तित्व में आया। इस समय आईएलओ के 187 सदस्य हैं। आईएलओ की प्रमुख गतिविधियों में कनवेंशनों, अनुशंसाओं और प्रोटोकाल के रूप में अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना करना है। भारत ने अभी तक 45 कनवेंशनों का अनुमोदन किया है, जिनमें से 42 प्रभावी हो गए हैं। इनमें से चार मौलिक या मूल कनवेंशन हैं।

पृष्ठभूमि

बाल श्रम से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने कड़े विधायी और परियोजना आधारित दृष्टिकोण समेत बहु आयामी रणनीति अपनाई है। हालांकि बाल एवं किशोरावस्था श्रम) निषेध और विनियमन (अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए हमारे देश के बच्चों के सुरक्षित और सफल भविष्य के लिए इसकी पहल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह अधिनियम किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार या काम करने पर रोक लगाता है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए हालिया पहलों की गति को बरकरार रखा जाना चाहिए। 2030 तक स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बालश्रम को खत्म किया जाना अहम है। कनवेंशन संख्या 138 और 182 का अनुमोदन देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अगला कदम है, क्योंकि यह कनवेंशन के प्रावधानों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। वर्तमान में, कनवेंशन संख्या 138 को 169 देशों द्वारा स्वीकृति दी गई है और कनवेंशन 182 को 180 देशों द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिए, इन दो प्रमुख कनवेंशन को मानने से, भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने बच्चों के रोजगार और बच्चों के काम करने को निषेध करने और उस पर गंभीर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून अपना लिया है।

GS PAPER III

1. रिकार्ड फसल उत्पादन होना तय : भारतीय किसान खाद्य और अच्छी प्रेरणा उपलब्ध कराते हैं:

भारत 2016-17 में खाद्यानों का रिकार्ड उत्पादन दर्ज कराएगा। दाल कृषि उत्पादन क्षेत्र में देश की उपलब्धियों का एक उच्च बिन्दु होगा और इसके लिए प्रेरणादायक साबित होगा कि किस प्रकार नीतिगत युक्तियां और किसानों तक पहुंच उन्हें भयंकर कमी की स्थिति से निकालकर लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

- ✓ देश के किसान विभिन्न फसलों की बदलती उत्पादन , उपभोग एवं मूल्य निर्धारण पद्धति के प्रति ग्रहणशील रहे हैं और नये मीडिया के माध्यम से उन्हें वास्तविक समय की सूचना भी उपलब्ध होती रही है और इन सबकी बदौलत वे एक बार फिर से देश की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। द्वितीय

अग्रिम आकलनों के अनुसार, वे 2016-17 में 271.98 मिलियन टन खाद्यान का उत्पादन करेंगे और 2013-14 के 265.57 मिलियन टन के पिछले रिकार्ड को ध्वस्त करेंगे। वर्ष दर वर्ष के आधार पर कुल खाद्यान उत्पादन पिछले वर्ष के 251.56 मिलियन टन की तुलना में 2016-17 के दौरान 8.1 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर दर्ज कराएगा।

- ✓ अगर हम 2013-14 के पिछले सर्वश्रेष्ठ वर्ष और 2016-17 के नये रिकार्ड को तोड़ने वाले वर्ष के बीच तुलना करें तो किसानों ने बेहतर रिटर्न और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सकारात्मक संकेतों को ग्रहण किया और दालों के रकबा क्षेत्र में बढ़ोतरी की।
- ✓ पिछले तीन वर्षों के दौरान दालों के लिए रकबा क्षेत्र 252.18 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 288.58 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया , जबकि उपज 19.78 मिलियन टन से बढ़कर 22.14 मिलियन टन तक पहुंच गई। यह प्रोटीन समृद्ध मसूर की दाल के लिए देश की मांग के निकट होगी और इसके उपभोग से ग्रामीण और शहरी दोनों परिवार की औसत आय में वृद्धि होना तय है। निश्चित रूप से दालों का उत्पादन बढ़ाने तथा स्व निर्भरता अर्जित करने के लिए एक सतत प्रयास किया जा रहा है।
- ✓ वर्तमान में दालों के मूल्य को लेकर स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब आसमान छूती कीमतों को लेकर दालों की खबरें मीडिया की सुर्खियों में नहीं आ रही है , जिनकी थोक मंडियों में कीमत 4200 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक नीचे आ चुकी हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापित दालों एवं उत्पादों के लिए खुदरा वार्षिक मुद्रास्फीति दर जनवरी 2017 में नकारात्मक 6.62 प्रतिशत थी। दालों के मामले में आत्मनिर्भरता के निकट पहुंचने का श्रेय किसानों और कुछ हद तक सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों को दिया जा सकता है।
- ✓ इससे संबंधित कार्य नीति में महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश , राजस्थान , गुजरात , कर्नाटक, आंध्र प्रदेश , तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडू में वर्षापूरित क्षेत्रों के तहत दालों में उच्चतर रकबा अर्जित करना शामिल था। 2016 में हुई पर्याप्त वर्षा ने भी किसानों की सहायता की जिन्हें उनकी उपज के लिए बोनस के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य) एमएसपी (प्राप्त होने का भरोसा था। चूंकि दालों के उत्पादन में मौसम की अनिश्चितताओं का जोखिम शामिल होता है, उन्नत फसल बीमा स्कीम 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) 'पीएमएफबीवाई (ने भी किसानों को काफी प्रोत्साहित किया। 2016-17 के लिए पीएमएफबीवाई पर अनुमानित सरकारी व्यय 13240 करोड़ रुपये आंका जा रहा है।

GENERAL STUDIES HINDI

- ✓ दालों के मामले में एक उच्च बिन्दु बहुकोणीय कार्यनीति के माध्यम से उत्पादन में तेजी लाने के लिए मिशन में पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल करने से संबंधित रहा है। इस कार्य योजना में राज्यों एवं केंद्र की विस्तार मशीनरी द्वारा प्रौद्योगिकियों के कलस्टर प्रदर्शन के जरिये चावल अजोत भूमि, अनाजों, तिलहनों एवं वाणिज्यिक फसलों के साथ अंत:फसलीकरण, खेतों के मेड़ पर अरहर की खेती, गुणवत्तापूर्ण बीजों के लिए बीज केंद्रों का निर्माण एवं किसानों को नि:शुल्क बीज मिनी किटों का वितरण शामिल है।
- ✓ इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दाल संघटक को वर्तमान 468 से बढ़ाकर पूर्वोत्तर राज्यों के सभी जिलों एवं हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के सभी जिलों समेत 29 राज्यों के 638 जिलों तक विस्तारित कर दिया गया है। मौसम की मदद एवं नीतिगत युक्तियों के सहयोग से रिकार्ड खाद्यान उत्पादन की बदौलत भारतीय कृषि का 4 प्रतिशत से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि दर अर्जित करना तय है। इसका प्रभाव बाजार में सब्जियों समेत खाद्य उत्पादों की उपलब्धता एवं मूल्यों पर व्यापक रूप से देखा जा रहा है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खुदरा मुद्रास्फीति के एक मामूली स्तर

और उत्पादकों को लाभकारी मूल्यों के बीच एक अच्छा संतुलन अर्जित किया जाए। आखिरकार एक व्यवसाय के रूप में खेती देश के लिए एक प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए जो किसानों के कल्याण एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, दोनों के लिए जरूरी है।

- ✓ 2015-16 की तुलना में चालू फसल वर्ष में क्रमश :4.26 प्रतिशत एवं 4.71 प्रतिशत की दर से फसल के उगने से चावल और गेहूं के भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की उम्मीद है। 2016-17 के लिए चावल उत्पादन के 108.86 मिलियन टन के अब तक के सर्वाधिक रिकार्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद ह
- ✓ दूसरी तरफ , 2016-17 में गेहूं उत्पादन के बढ़कर 96.64 मिलियन टन पहुंचने की उम्मीद है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 4.71 प्रतिशत अधिक है।
- ✓ चावल एवं गेहूं के मामले में एक उल्लेखनीय विशेषता यह है पिछले तीन वर्षों के दौरान उपज में बढ़ोतरी हुई है जबकि रकबा में गिरावट आई है , यह बेहतर कृषि उत्पादकता की ओर इंगित करती है , जिसमें बेशक और वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। 2013-14 में चावल की खेती के तहत क्षेत्र 441.36 लाख हेक्टेयर था जिसमें 106.65 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। 2016-17 में रकबा घटकर 427.44 लाख हेक्टेयर जबकि उत्पादन के 108.86 मिलियन टन तक रहने का अनुमान है।
- ✓ गेहू के लिए भी ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आई है। 2013-14 में गेंहूं की खेती के तहत क्षेत्र 304.73 लाख हेक्टेयर था, जबकि उत्पादन 95.85 मिलियन टन का हुआ था। 2016-17 के लिए तुलनात्मक संख्या 302.31 लाख हेक्टेयर है , जबकि उत्पादन के 96.64 मिलियन टन रहने का अनुमान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के किसानों की उनके प्रयासों के लिए सराहना की जानी चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार द्वारा उठाए गए नये कदमों की बदौलत वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश के किसान भी खुशहाल हो जाएंगे।

2. रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे के प्रमुख माल ढुलाई कदमों का आगाज किया

रेल मंत्री ने राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में निम्नलिखित प्रमुख माल ढुलाई कदमों का आगाज किया:

1. प्रमुख उपभोक्ताओं के लिए' दीर्घकालिक अनुबंधों 'की नीति

GENERAL STUDIES HINDI

2. भारतीय रेलवे की माल ढुलाई और यात्री व्यवसाय कार्य योजना 2017-18
3. वायर के तहत डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन का पुष्टि परीक्षण -एक नया वितरण मॉडल
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रो-रो) रोल ऑन – रोल ऑफ (सेवा का प्रदर्शन परिचालन -सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने और पर्यावरण में सुधार के लिए' हरित परिवहन 'हेतु भारतीय रेलवे की एक पॉयलट परियोजना।।

Shrinking revenue sources of Railway:

- ➢ विगत वर्षों के दौरान देश के कुल यातायात में रेलवे की हिस्सेदारी काफी घट गई है। रेलवे अपना दो-तिहाई राजस्व केवल माल ढुलाई और मुख्यत :आठ जिंसों की ढुलाई से अर्जित करती है।
- ➢ वैश्विक स्तर पर छाई सुस्ती से परिवहन क्षेत्र ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इससे रेलवे की माल ढुलाई आमदनी प्रभावित हुई है।

हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेलवे ने अपनी कुल माल ढुलाई में बढ़ोतरी करने की दिशा में अच्छा प्रदर्शन किया है। रेल मंत्री समस्त हितधारकों के साथ सलाह-मशविरा कर अपनी माल ढुलाई नीतियों में निरंतर परिवर्तन करने के साथ-साथ उन्हें तर्कसंगत भी बनाते रहे हैं, ताकि और ज्यादा माल

ढुलाई को रेलवे की ओर आकर्षित किया जा सके। इन बदलावों के लिए भारतीय रेलवे ने यातायात संबंधी नीतियां बनाने हेतु बाजार उन्मुख अवधारणा अपनाई है। माल ढुलाई नीति में किये गये ये उल्लेखनीय सुधार बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप ही हैं।

माल ढुलाई में बेहतरी होने पर सभी विजेता साबित होंगे, चाहे वह रेलवे हो अथवा उपभोक्ता या समस्त परितंत्र। डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन की अवधारणा एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि इससे समय की बचत होगी और इसके साथ ही यह किफायती भी होगी। इसी तरह प्रदूषण, जन स्वास्थ्य और त्वरित परिवहन के दृष्टिकोण से रो-रो सेवाओं की अवधारणा भी अत्यंत उपयोगी है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने गैर-किराया राजस्व के साथ-साथ ईंधन की लागत बचाने की दिशा में भी विभिन्न कदम उठाये हैं। रेलवे ने ऊर्जा के मोर्चे पर अगले 10 वर्षों में 41,000 करोड़ रुपये की बचत करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही रेलवे ने विस्तारीकरण और क्षमता वृद्धि की व्यापक योजना शुरू की है।।

प्रमुख माल ढुलाई कदमों की मुख्य विशेषताएं*:---- -

रोल-ऑन रोल-ऑफ) रो-रो(:-

- 2016-17 के रेल बजट में रेल मंत्री ने यह घोषणा की है कि या तो कन्टेनरीकरण अथवा नये वितरण मॉडलों के जरिये माल ढुलाई के बास्केट को बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना विकसित एवं क्रियान्वित की जायेगी।
- 'रोल-ऑन रोल-ऑफ 'इसी तरह का एक नया वितरण मॉडल है जो मल्टी मोडल परिवहन सेवाएं उपलब्ध करा सकता है।
- रो-रो सेवाओं का शुभारंभ कोंकण रेलवे पर हुआ था और बाद में ईसीआर एवं एनएफआर में भी इसे पिछले वर्ष सफलतापूर्वक शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरित परिवहन के लिए पॉयलट परियोजना इसी तरह की अगली ऐसी सेवा है जिसका शुभारंभ आज भारतीय रेलवे में किया जा रहा है।
- एनसीआर में 127 प्रवेश/निकासी स्थल हैं। इस क्षेत्र में अवस्थित 9 प्रमुख प्रवेश/निकासी स्थलों से 75 प्रतिशत हल्के वाणिज्यिक वाहन और भारी ट्रक गुजरते हैं।
- प्रतिदिन लगभग 66,000 ट्रक दिल्ली में प्रवेश करते हैं। इनमें से लगभग 38 प्रतिशत अथवा 25,000 ट्रकों की गिनती भारी ट्रकों में होती है। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत अर्थात 15,000 ट्रक दिल्ली आगमन के लिए निर्दिष्ट नहीं होते हैं।
- इस मॉडल के तहत ट्रकों की आवाजाही दिन के समय भी हो सकती है, जिन पर पहले प्रात :7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक पाबंदी लगी हुई थी।
- प्रवेश स्थलों पर लगने वाली लंबी-लंबी लाइनें छोटी हो जायेंगी जिससे समय की बचत होगी और इसके साथ ही रो-रो सेवा के परिचालन के दौरान ट्रक ड्राइवरों को पर्याप्त आराम भी मिल सकेगा

इस मॉडल से पूरे एनसीआर में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वायु प्रदूषण में काफी कमी आयेगी। - रो-रो सेवाओं से इन भारी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

रो-रो सेवाओं के तहत इन वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली के बाहर स्थित रेलवे टर्मिनलों/पीएफटी पर रेलवे के फ्लैट वैगनों में लादा जायेगा और फिर उसके बाद शहर से होते हुए उन्हें दिल्ली की सीमा से बाहर वैगनों से नीचे उतार दिया जायेगा। इसका उद्देश्य दिल्ली में भीड़–भाड़ कम करना है।

GENERAL STUDIES HINDI

--- **ट्रक ऑपरेटरों को लाभ** :--

- पारगमन समय में 8-10 घंटे की बचत होने की आशा है क्योंकि दिन के समय किसी भी वाणिज्यिक वाहन को एनसीआर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है।
- (ईसीसी (की बचत - लगभग 1400-2600 रुपये
- दिल्ली में प्रवेश करने के लिए टोल टेक्स की बचत – लगभग 500-900 रुपये ईंधन की बचत होगी और इसके साथ ही आने-जाने में कम समय लगेगा।।

*** समुदाय को लाभ---:***

- वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में कमी
- दिल्ली की सड़कों पर भीड़-भाड़ में कमी
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी
- परिवहन से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी – इस लिहाज से परिवहन के समस्त साधनों में रेलवे का प्रदर्शन सबसे अच्छा है।।

रेलवे को लाभ:--

- अतिरिक्त यातायात।
- एक नया मॉडल, जिसमें सड़कों पर आवाजाही के साथ अनुकूलता की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही हरित परिवहन के जरिये प्रमुख महानगरों में प्रदूषण घटाने के राष्ट्रीय प्रयासों में भारतीय रेलवे की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
- परिचालन के दौरान प्रमाणित कार्बन क्रेडिट भी अर्जित करेगी।।

परीक्षण परिचालन--:

- एनसीआर में गढ़ी हरसरु से मुराद नगर तक प्रथम पॉयलट परियोजना को 2 मार्च, 2017 को पटेल नगर से झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है।।

GENERAL STUDIES HINDI

दीर्घकालिक शुल्क) टैरिफ (अनुबंध/समझौते* :--रेल बजट 2016-17 में रेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा पर अमल करते हुए पूर्व निर्धारित मूल्य वृद्धि सिद्धांत का उपयोग करके रेलवे के प्रमुख माल ढुलाई उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालिक शुल्क समझौते /अनुबंध करने की नीति का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

* **उद्देश्य***--
पूर्व निर्धारित मूल्य वृद्धि सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ताओं की ओर से दीर्घकालिक सकल माल ढुलाई राजस्व) न्यूनतम गारंटी मात्रा के अनुरूप (संबंधी प्रतिबद्धताएं हासिल करना।
* **नीति की मुख्य बातें ये हैं****:--

- यातायात की न्यूनतम गारंटी मात्रा मुहैया कराने की प्रतिबद्धता के बदले में सकल माल ढुलाई राजस्व में वृद्धिपरक विकास के आधार पर न्यूनतम गारंटी मात्रा से जुड़ी छूट मिलेगी। सकल माल ढुलाई राजस्व) जीएफआर (में वृद्धिपरक विकास के अनुसार 1.5 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक डिस्काउंट।

लाभार्थी--:* प्रमुख उपभोक्ता जैसे कि सीमेंट, उर्वरक, इस्पात उद्योग इत्यादि
लाभ--: उपभोक्ताओं के लिए दीर्घकालिक शुल्क/माल भाड़ा दरों में स्थिरता एवं निश्चितता

* **डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनरों का परीक्षण परिचालन** :----

- ✓ रेल बजट 2016-17 में रेल मंत्री ने घोषणा की है कि माल ढुलाई के बास्केट के विस्तारीकरण और या तो कंटेनरीकरण अथवा नये वितरण मॉडलों के जरिये यातायात को फिर से हासिल करने के लिए एक कार्य योजना विकसित एवं क्रियान्वित की जायेगी।
- ✓ डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन कुछ इसी तरह का अभिनव वितरण मॉडल है।
- ✓ ***मुख्य बात--:** *डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे ज्यादा वहन क्षमता के साथ अधिकतम प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए वायर के नीचे 6 फीट 4 इंच की ऊंचाई पर अपना परिचालन कर सकेंगे।।
- ✓ ***लाभ*** :---प्रति इकाई ढुलाई लागत घट जायेगी। कम भार -मात्रा अनुपात वाली जिंसों के लिए लाभप्रद।
- ✓ आरंभिक वर्ष में लगभग 3 मिलियन टन का अतिरिक्त यातायात आकर्षित करने की संभावना।।

* **भारतीय रेलवे की व्यवसाय योजना 2017-18** :---- - -
रेल यात्रियों की यात्रा को और सुखद बनाने के साथ-साथ भारतीय रेलवे के माल ढुलाई व्यवसाय को हमारे उपभोक्ताओं की जरूरतों के और अनुरूप बनाने के हमारे अथक प्रयासों के तहत ही व्यवसाय योजना 2017-18 शुरू की गई है।।

व्यवसाय योजना 2017-18 की मुख्य बातें*:---

- ❖ **माल ढुलाई खंड***:- विभिन्न कदमों जैसे कि हितधारकों के साथ भागीदारी के जरिए रेलवे के माल गोदामों को बेहतर करते हुए वितरण प्रणाली का उन्नयन करना।
- ❖ **यात्री खंड:** - कैशलेस, पेपरलेस टिकटिंग) वर्ष 2017-18 में 6000 पीओएस मशीनें एवं 1000 टिकट वेंडिंग मशीनें(, 'आधार 'पर आधारित टिकटिंग और मई 2017 तक एक एकीकृत टिकटिंग एप को अपनाते हुए टिकट व्यवस्था में बदलाव लाना।

GENERAL STUDIES HINDI

- ❖ **नये व्यावसायिक अवसर***:-डाक विभाग के साथ नई भागीदारी के जरिये पार्सल व्यवसाय को बढ़ाना, ताकि पार्सल यातायात में सम्पूर्ण सोल्यूशन मुहैया कराया जा सके। इसके साथ ही बेहतर बुकिंग व्यवस्था के लिए आईटी से लाभ उठाना।

3. **जमीनी नवाचार आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय समझौतों के डिजाइन और ढांचे पर फिर से विचार किया जाए राष्ट्रपति :**

- ➢ राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि जमीनी नवाचार आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रबंधन की डिजाइन और ढांचे पर फिर से विचार किया जाना चाहिए
- ➢ राष्ट्रपति ने कहा कि देश में प्रत्येक वर्ष टेक्नोलॉजी के एक मिलियन विद्यार्थी पास होते हैं। जब तक हम वार्षिक रूप से 10-2000 विचारों में निवेश नहीं करते तब तक हमें बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। अभी नवाचार आधारित स्टार्टअप के वित्त पोषण का स्तर प्रति वर्ष प्रौद्योगिकीय आधारित कुछ हजार स्टार्टअप हैं।

- राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा परंपरागत तरीकों से आगे निकलना महत्वपूर्ण है और उद्यमिता और नवाचार की ऐसी प्रणाली बनानी है जहां युवा रोजगार ढूंढने वालों से बदल कर रोजगार सृजक हो जाएं।
- नीति बनाने वालों की वास्तविक चिंता यह है कि उद्यम के जीवन चक्र में काफी देर से जरूरी वित्त मिल पाता है और इसका परिणाम यह होता है कि उत्पाद और सेवा बनने से पहले बड़ी संख्या में विचार मर जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप से यह पूछना होगा कि क्या नवाचार आधारित स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए हमारी नीति और संस्थागत प्रबंधों को बदला जाना चाहिए ? इसका उत्तर सर्वसम्मति से हां करना होगा।
- राष्ट्रपति ने कहा कि नवाचारों तथा प्रारंभिक चरण के उद्यमों के वित्त पोषण को कम जटिल किया जाना चाहिए। इससे सोच में बदलाव आयेगा। हम जिस तरह सफलता को मनाते हैं उसी तरह हमें विफलताओं से सीखना भी चाहिए।
  - राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अटल नवाचार मिशन ने 500 से अधिक स्कूलों में परिवर्तनकारी लैब स्थापित किया है।
- राष्ट्रपति ने कहा कि उभरती पारस्थिकीय प्रणाली को समुदाय, जिला और क्षेत्रीय स्तरों पर समर्थन दिया जाना चाहिए। प्रत्येक नवोदय विद्यालयों में इंक्यूबेशन केंद्र होने चाहिए ताकि कम आयु में बच्चे जोखिम उठाने में सक्षम और प्रोत्साहित हों। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक जिले में सामुदायिक इंक्यूवेशन लैब होनी चाहिए।

3. ऐड्स टु नेविगेशन) एटुएन (पर भारत और बांग्लादेश के बीच एमओयू को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के अधीन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइटहाउसेज एंड लाइटशिप्स (डीजीएलएल) और बांग्लादेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग के बीच ऐड्स टु नेविगेशन (एटुएन) पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। एमओयू के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच इन मुद्दों पर सहयोग की परिकल्पना की गई है:

क. लाइटहाउसों और बीकनों पर सलाह देने के लिए,

ख. पोत यातायात सेवा और स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) की श्रृंखला पर सलाह के लिए और

ग. बांग्लादेश के एटुएन मैनेजर्स और तकनीशियनों को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन ऐड्स टु नेविगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटीज (आईएएलए) प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।

यह एमओयू दोनों देशों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिए समर्थ बनाएगा:

क. एटुएन पर सलाह देने में,

ख. एटुएन कर्मियों को प्रशिक्षण देकर अकादमिक संपर्क बढ़ाने में और

ग. एटुएन क्षेत्र में कौशल बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं/सम्मेलनों के आयोजन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने में।

यह एमओयू दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एटुएन प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में बेहतर सहयोग प्रदान करने में भी मदद करेगा। इससे नेविगेशन के लिए समुद्री ऐड्स के प्रबंधन पर आईएएलए मॉडल कोर्स ई-141/1 के आधार पर प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा और उसके लिए आईएएलए दिशानिर्देशों के अनुरूप पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की डिलिवरी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण विकासशील देश हैं। दोनों देशों की मित्रता और सौहार्दपूर्ण संबंधों की लंबी परंपरा रही है जो हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के कई द्विपक्षीय दौरे के दौरान दिखी है।

पृष्ठभूमि:

इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन (आईएमओ) की जरूरतों के अनुसार, विभिन्न देशों के अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय सिफारिशों एवं दिशानिर्देशों के तहत उनके समुद्री क्षेत्र में नेविगेशन के लिए उपयुक्त सहायता प्रदान करना होता है। नेविगेशन के लिए समुद्री ऐड्स जैसे लाइटहाउस, बीकन, डीजीपीएस, नेविगेशनल एवं मूरिंग बॉयज का संचालन जहाजों और/अथवा पोतों के यातायात की सुरक्षा और कुशलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइटहाउसेज एंड लाइटशिप्स ने भारतीय समुद्र में सुरक्षित आवाजाही के लिए भारत में ऐड्स टु नेविगेशन स्थापित किया है। डीजीएलएल को लाइटहाउस इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त है और उसके पास ऐड्स टु नेविगेशन की एक विशाल इन्वेंटरी है जिसमें 193 लाइहाउस, 64 बीकन, 22 गहरे समुद्री में प्रकाशित वॉयज, 23 डीजीपीएस स्टेशन, 01 लाइटशिप, 04 टेंडर वेसेल, नेशनल एआईएस नेटवर्क और खाड़ी से लेकर कच्छ तक वेसेल ट्रैफिक सर्विस शामिल हैं।

आईएएलए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो सभी ऐड्स टु नेविगेशन के उपयोग में समन्वय और तालमेल बिठाने में मदद करती है। भारत डीजीएलएल के माध्यम से आईएएलए परिषद में अपनी सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्रीय सहयोग की ओर उठाए गए इस कदम के तहत भारत और बांग्लादेश ने एटुएन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अनुसार, भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय की ओर से डीजीएलएल अपने समकक्ष बांग्लादेश के डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग को वेसेल ट्रैफिक सर्विस, चेन ऑफ ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सहित एटुएन पर सहलाह प्रदान करेगा। बांग्लादेश के एटुएन कर्मियों के प्रशिक्षण के क्रम में डीजीएलएल एटुएन मैनेजरों एवं तकनीशियनों के लिए आईएएलए प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन करेगा। इससे बांग्लादेश के एटुएन कर्मियों को क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी।

4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में

GENERAL STUDIES HINDI

1. चुनाव आयोग ने यह पाया है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पंजाब की राज्य विधानसभाओं के लिए हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने ईसीआई-ईवीएम की विश्वसनीयता के खिलाफ आवाज उठाते हुए इन चुनावों के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ किये जाने का आरोप लगाया है।
2. ईसीआई-ईवीएम का उपयोग शुरू किये जाने के बाद इन मशीनों में कथित छेड़छाड़ के बारे में इस तरह की कुछ चिंताएं पहले भी व्यक्त की जा चुकी हैं। उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में भी इस तरह की चिंताएं जताई जा चुकी हैं। इन आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। ईसीआई ने स्पष्ट रूप से यह बात दोहराई कि ईवीएम में निहित कारगर तकनीकी एवं प्रशासनिक हिफाजतों को देखते हुए ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और इस तरह चुनाव प्रक्रिया की प्रामाणिकता संरक्षित रहती है।
3. नागरिकों एवं सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए इस विषय के मद्देनजर कुछ तथ्यों पर एक बार फिर प्रकाश डालना उपयोगी साबित होगा।

ईवीएम की पृष्ठभूमि

मतपत्रों के उपयोग से जुड़ी कुछ विशेष समस्याओं से निजात पाने और प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ उठाने के उद्देश्य से आयोग ने दिसंबर, 1977 में ईवीएम का विचार सामने रखा था, ताकि मतदाता बगैर किसी संशय के सही ढंग से अपने वोट डाल सकें और अवैध वोटों की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। संसद द्वारा दिसंबर 1988 में इस कानून को संशोधित किया गया था और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 61ए को जोड़ा गया था जिसके तहत वोटिंग मशीनों के उपयोग के लिए आयोग को अधिकार दिया गया था। संशोधित प्रावधान 15 मार्च, 1989 से प्रभावी हुआ।

केन्द्र सरकार ने जनवरी 1990 में चुनाव सुधार समिति का गठन किया था जिसमें अनेक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। चुनाव सुधार समिति ने बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का आकलन करने के उद्देश्य से एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सुरक्षित प्रणाली है। अत: विशेषज्ञ समिति ने और समय बर्बाद किये बगैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किये जाने के बारे में अप्रैल 1990 में सर्वसम्मति से सिफारिश की।

5. वर्ष 2000 के बाद ईवीएम का उपयोग राज्य विधानसभाओं के लिए हुए 107 चुनावों और वर्ष 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए हुए 3 चुनावों में किया जा चुका है।
6. **ईवीएम के इस्तेमाल पर न्यायिक निर्णय-**

वर्ष 2001 के बाद ईवीएम में संभावित छेड़छाड़ के मसले को विभिन्न उच्च न्यायालयों में उठाया जा चुका है, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

- मद्रास उच्च न्यायालय-2001
- दिल्ली उच्च न्यायालय-2004
- कर्नाटक उच्च न्यायालय-2004
- केरल उच्च न्यायालय-2002
- बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर बेंच)-2004

GENERAL STUDIES HINDI

उपर्युक्त सभी उच्च न्यायालयों ने भारत में हुए चुनावों में ईवीएम के उपयोग में निहित तकनीकी सुदृढ़ता और प्रशासनिक उपायों के समस्त पहलुओं पर गौर करने के बाद यह पाया है कि भारत में ईवीएम विश्वसनीय, भरोसेमंद एवं पूरी तरह से छेड़छाड़ मुक्त हैं। इनमें से कुछ मामलों में यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गयी अपीलों को खारिज कर दिया है।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि "यह आविष्कार नि:संदेह इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक महान उपलब्धि और राष्ट्रीय गौरव है।" कर्नाटक उच्च न्यायालय एवं मद्रास उच्च न्यायालय दोनों ने ही यह अवलोकन किया कि मतपत्र/मतपेटी वाली चुनाव प्रणाली की तुलना में चुनाव में ईवीएम के उपयोग के कई फायदे हैं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट शब्दों में ईवीएम में छेड़छाड़ किये जाने की संभावना से साफ इनकार किया है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा किया गया निम्नलिखित अवलोकन ध्यान देने योग्य है।

"कोई वायरस या बग डालने का सवाल भी नहीं पैदा होता है क्योंकि ईवीएम की तुलना पर्सनल कम्प्यूटर से नहीं की जा सकती है। कम्प्यूटर में अंतर्निहित सीमाएं होती हैं क्योंकि उसमें इंटरनेट के जरिए कनेक्शन

होता है और उसके विशेष डिजाइन को देखते हुए प्रोग्राम विशेष में छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन ईवीएम स्वतंत्र इकाइयां होती हैं और ईवीएम में प्रोग्राम पूरी तरह से एक भिन्न प्रणाली के रूप में होता है।"

इसके पश्चात, वर्ष 2009 में हुए आम चुनाव के बाद भी राजनीतिक दलों ने यह कहते हुए इस मसले को तूल दिया था कि ईवीएम पूरी तरह से छेड़छाड़ मुक्त नहीं हैं और इसमें फेरबदल की गुंजाइश रहती है। हालांकि, कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया और न ही किसी अदालत में वे इसे साबित कर पाये।

कुछ कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2009 में उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें ईसीआई जाने की सलाह दी। उसके बाद ही इन कार्यकर्ताओं ने खुला संवाद किया। उधर, ईसीआई ने यह खुली चुनौती दी कि क्या कोई भी व्यक्ति यह साबित कर सकता है कि ईसीआई के पास मौजूद मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है। हालांकि, ईसीआई द्वारा दिये गये अवसरों के तहत मशीनों को खोलने एवं आंतरिक कलपुर्जों को खोलकर दिखाने के बावजूद कोई भी व्यक्ति ईसीआई के मुख्यालय में इस मशीन में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश को प्रदर्शित नहीं कर पाया। इस कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गयी।

वर्ष 2010 में ईसीआई द्वारा बुलाई गयी एक बैठक में असम एवं तमिलनाडु के कुछ राजनीतिक दलों को छोड़ सभी राजनीतिक दलों ने ईवीएम के कामकाज के तरीके पर संतुष्टि जताई। उसी दौरान वीवीपीएटी का विचार सामने रखा गया, ताकि आगे और ज्यादा जांच संभव हो सके।

7. ईसीआई द्वारा उपयोग की गयी ईवीएम में तकनीकी सुरक्षा

- इस मशीन में छेड़छाड़/फेरबदल की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित बनाया गया है। इन मशीनों में उपयोग किये गये प्रोग्राम (सॉफ्टवेयर) को तप्त करके वन टाइम प्रोग्राम/मास्क्ड चिप का रूप दे दिया जाता है, ताकि इसमें किसी भी तरह का फेरबदल अथवा छेड़छाड़ कतई संभव न हो सके। इसके अलावा, इन मशीनों की न तो किसी वायर के जरिये अथवा वायरलेस ढंग से ही किसी अन्य मशीन या प्रणाली से नेटवर्किंग की जाती है। अत: इसके डेटा में फेरबदल की कोई भी संभावना नहीं रहती है।
- ईवीएम के सॉफ्टेवयर को बीईएल (रक्षा मंत्रालय का पीएसयू) और ईसीआईएल (परमाणु ऊर्जा मंत्रालय का पीएसयू) के इंजीनियरों के एक चुनिंदा समूह द्वारा एक-दूसरे से बिल्कुल अलग इन-हाउस विकसित किया जाता है। दो-तीन इंजीनियरों का एक चुनिंदा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समूह सोर्स कोड की डिजाइनिंग करता है तथा इस कार्य के लिए किसी और से अनुबंध नहीं किया जाता है।
- सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग का काम पूरा हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर का परीक्षण एवं आकलन सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशों (एसआरएस) के अनुसार एक स्वतंत्र परीक्षण समूह द्वारा किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि वास्तव में केवल निर्धारित उपयोग के लिए ही तय की गयी आवश्यकताओं के अनुरूप इस सॉफ्टेवयर को लिखा गया है।
- ईवीएम के सोर्स कोर्ड को हमेशा नियंत्रित स्थितियों में स्टोर करके रखा जाता है। इसकी निगरानी एवं नियंत्रण की पूरी व्यवस्था की जाती है, ताकि केवल अधिकृत अधिकारीगण ही इस कोड तक पहुंच सकें।
- वर्ष 2006 में कुछ अतिरिक्त खूबियां ईसीआई-ईवीएम में डाली गयीं जैसे कि **बैलट यूनिट (बीयू) और कंट्रोल यूनिट (सीयू)** के बीच गतिशील कोडिंग, रीयल टाइम घड़ी लगाना, पूर्ण डिस्प्ले सिस्टम लगाना और ईवीएम में हर बार बटन को दबाने पर तारीख और समय का अंकित होना।

8. ईसीआई-ईवीएम की विशिष्टता

कुछ राजनीतिक दलों ने कहा है कि विदेश में कई देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है। आयोग ने ईसीआई-ईवीएम और विदेश में उपयोग की गयी ईवीएम के बीच तुलना की है। इस तरह की तुलना गलत के साथ-साथ गुमराह करने वाली भी है। ईसीआई-ईवीएम अपने-आप में बिल्कुल अलग एवं स्वतंत्र मशीन है। अत: ईसीआई-ईवीएम की तुलना अन्य देशों की मशीनों से नहीं की जा सकती है।

- अन्य देशों में इस्तेमाल किये गये ज्यादातर सिस्टम इंटरनेट कनेक्टिविटी से युक्त कम्प्यूटर आधारित हैं। अत: इन सिस्टमों की हैकिंग किये जाने का खतरा बना रहता है।
- ईसीआई-ईवीएम विभिन्न देशों में अपनायी गयी वोटिंग मशीनों और प्रक्रियाओं से बुनियादी तौर पर बिल्कुल भिन्न है।

9. **प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक सुरक्षा**

आयोग ने सुरक्षा उपायों की एक विस्तृत प्रशासनिक प्रणाली और प्रक्रियात्मक निगरानी एवं नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था कर रखी है जिसका उद्देश्य किसी भी संभावित दुरुपयोग अथवा प्रक्रियात्मक खामी की रोकथाम सुनिश्चित करना है। ईसीआई द्वारा इन सुरक्षा उपायों पर पारदर्शी रूप से अमल किया जाता है जिसमें हर चरण में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की सक्रिय एवं दस्तावेज संबंधी भागीदारी रहती है, ताकि ईवीएम की प्रभावकारिता और विश्वसनीयता पर उनका विश्वास सदैव बना रहे। ये सुरक्षा उपाय निम्नलिखित हैं:

(ए) प्रत्येक चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम बनाने वाली कंपनियों के इंजीनियरों द्वारा चुनाव में उपयोग में लाये जाने वाली प्रत्येक प्रत्येक ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। किसी ईवीएम में गडबडी पाये जाने पर उसे अलग रख दिया जाता है और चुनाव में उसका उपयोग नहीं होता।

(बी) प्रथम स्तर की जांच के समय ईवीएम बनाने वाली कंपनी प्रमाणित करती है कि ईवीएम में लगाये गये सभी उपकरण मौलिक हैं। इसके बाद ईवीएम की प्लास्टिक कैबिनेट नियंत्रण इकाई गुलाबी कागज की सील से सील की जाती है। इस पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हस्ताक्षर करते हैं और इसे स्ट्राँग रूम में रखा जाता है। इस चरण के बाद ईवीएम की प्लास्टिक कैबिनेट नियंत्रण इकाई को खोला नहीं जा सकता। ईवीएम के अंदर किसी तरह के उपकरण का प्रयोग नहीं हो सकता।

(सी) इसके अतिरिक्त, प्रथम स्तरीय जांच के समय राजनीतिक दलों द्वारा चुनी गई पांच प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा कम से कम एक हजार वोट डाले जाते हैं। इस बनावटी मतदान के परिणामों के प्रिंट आउट और प्रथम स्तरीय जांच के समय बनावटी मतदान के दौरान क्रमानुसार डाले गये प्रत्येक वोट का प्रिंटआउट कम से कम पांच प्रतिशत ईवीएम के लिए निकाला जाता है और प्रिंटआउट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिखाये जाते हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस बात की अनुमति दी जाती है कि वे अपनी इच्छा अनुसार मशीने उठायें। शेष मशीनों में बनावटी मतदान के दौरान डाले गये मतों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संतुष्ट कराया जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्वयं बनावटी मतदान संपन्न करने की अनुमति है। इसे डीओ/आरओ द्वारा दस्तावेज के रूप में दर्ज किया जाता है।

(डी) इसके बाद रखी गयी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित करने के लिए ईवीएम मशीनों को दो बार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा खंगाला जाता है और ईवीएम मशीनों को उपयोग में लाने के लिए मतदान केंद्रों को वितरित करने से पहले उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदान केन्द्रों के लिए स्थानांतरित किया जाता है। राजनीतिक दलों /उम्मीदवारों को ईवीएम क्रम संख्या वाली सूची दी जाती है।

(ई) उम्मीदवारों तथा उनके प्रतिनिधियों को उम्मीदवार सेटिंग के समय ईवीएम पर बनावटी मतदान संचालित करने की अनुमति दी जाती है और मतदान के दिन वास्तविक मतदान से पहले भी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को इस तथ्य से संतुष्ट कराया जाता है कि ईवीएम मशीनें संतोषजनक रूप से काम कर रही हैं।

(एफ) उम्मीदवार सेटिंग का काम हो जाने के बाद ईवीएम की बैलट इकाई धागे / गुलाबी कागज की सील से सील की जाती है ताकि बैलट इकाई के अंदर किसी की पहुंच न हो सके। इन गुलाबी सीलों पर राजनीतिक दलों/ उम्मीदवार के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होते हैं।

(जी) बनावटी मतदान के परिणामों के प्रिंटआउट तथा बनावटी मतदान के दौरान डाले गये क्रमानुसार प्रत्येक वोट के प्रिंटआउट कम से कम पांच प्रतिशत ईवीएम मशीनों के लिए ईवीएम तैयार करने और उम्मीदवार सेटिंग के समय निकाले जाते हैं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है। इसके लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उनकी इच्छानुसार मशीनें चुनने की अनुमति है।

(एच) मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों / पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में कम से कम 50 मतों का बनावटी मतदान संपन्न कराया जाता है और प्रत्येक पीठासीन अधिकारी से बनावटी मतदान का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।

(आई) बनावटी मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम मशीनें धागे और हरे कागज की सील से सील की जाती है ताकि चुनाव कराने के लिए उपयोग में आने वाले बटनों को छोडकर सभी बटन तक पहुंच ब्लॉक कर दी जाए। कागज और धागे की इन सीलों पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर की अनुमति है। मतदान सम्पन्न होने के बाद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी ''क्लोज'' बटन दबाते हैं। इसके बाद ईवीएम मशीन में कोई वोट नहीं डाला जा सकता।

(जे) इसके बाद पूरी ईवीएम सील कर दी जाती है। सीलों पर उम्मीदवारों और उनके हस्ताक्षर की अनुमति होती है। मतगणना शुरू होने से पहले उम्मीदवार और उनके एजेंट हस्ताक्षर सटीक होने की जांच कर सकते हैं। मतदान केन्द्रों से मतगणना स्टोर रूम तक ईवीएम मशीनों को ले जाने वाले वाहनों के पीछे-पीछे उम्मीदवार/ उनके प्रतिनिधि चलते हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

(के) इसके अतिरिक्त मतगणना के लिए ईवीएम मशीनें रखने के लिए बने स्ट्राँगरूम को सील कर दिया जाता है और स्ट्राँग रूमों की दिन-रात निगरानी की जाती है। स्ट्राँगरूम की सीलों पर उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर की अनुमति है। उन्हें दिन रात स्ट्राँगरूम पर नजर रखने की अनुमति है।

(एल) सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को प्रथम चरण की जांच, मतदान से पहले ईवीएम मशीनें तैयार करने, बनावटी मतदान आदि में भाग लेने का अवसर दिया जाता है।

10 मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)

भारत निर्वाचन आयोग ने 2010 में राजनीतिक दलों के साथ हुई मंत्रणा के आधार पर पारदर्शिता बढाने की दृष्टि से मतदाता सत्यापन योग्य प्रेपर ओडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के उपयोग करने पर विचार किया। वीवीपीएटी लागू करने का अर्थ यह है कि नियंत्रण इकाई में मत की रिकॉर्डिंग के साथ उम्मीदवार

के नाम और चुनाव चिन्ह् वाली कागजी पर्ची निकाली जा सके ताकि किसी तरह के विवाद के मामले में ईवीएम मशीनों में दिखाये जा रहे परिणाम की पुष्टि कागजी पर्जी गिनकर की जा सके। वीवीपीएटी के अंतर्गत बैलट इकाई से प्रिंटर जुड़ा होता है और इसे मतदान के खांचे में रखा जाता है। सात सेकेंड के लिए वीवीपीएटी पर कागजी पर्ची दिखती है। वीएल / ईसीआईएल द्वारा निम्रित वीवीपीएटी के डिजाइन की मंजूरी 2013 ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई और उन लोगों को दिखाया गया जो इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले गये। नियमों में संशोधन किये गये। भारत निर्वाचन आयोग ने 2013 में नगालैंड के उप चुनाव में वीवीपीएटी का उपयोग किया। यह उपयोग काफी सफल रहा। उच्चतम न्यायालय ने चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी लगाने का आदेश दिया और सरकार से वीवीपीएटी प्राप्त करने के लिए धन स्वीकृ त करने को कहा।

इस संबंध में जून 2014 में आयोग ने 2019 में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वीवीपीएटी लागू करने का प्रस्ताव किया और सरकार से 317 करोड़ रूपये की राशि मांगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी लागू करने की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग को दी।

उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले में आयोग ने मार्च 2017 में शीर्ष अदालत को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग सरकार की ओर से राशि जारी करने के समय से 30 महीनों में बने आवश्यक संख्या में वीवीपीएटी प्राप्त कर लेगा।

2013 में भारत निर्वाचन आयोग को 20 हजार वीवीपीएटी प्राप्त हुए और तब से 143 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का उपयोग किया गया है। वर्ष 2016 में बीईएल द्वारा 33500 वीवीपीएटी तैयार किये गये हैं। अब तक 255 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का उपयोग किया गया है। 2017 में गोवा चुनाव में सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपीएटी की तैनाती की गई थी। हाल में पांच राज्यों में हुए चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 52000 वीवीपीएटी की तैनाती की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग 2014 से आवश्यक संख्या में वीवीपीएटी तैयार करने के लिए सरकार से 3174 करोड़ रूपये की राशि जारी करने का आग्रह कर रहा है, ताकि 2019 के लोकसभा आम चुनाव में सभी मतदान केन्द्रों पर वीवीपीएटी का उपयोग हो सके।

जैसा की ऊपर बताया गया है आयोग ने चुनाव में ईवीएम के कार्य दोषमुक्त तरीके से सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तकनीकी और प्रशासनिक प्रणाली की व्यवस्था की है। इस तरह आयोग भारत निर्वाचन आयोग- ईवीएम के सुरक्षित कामकाज को लेकर पूरी तरह संतुष्ट है। यह कहा जा सकता है कि इस तरह के आरोप और शंकाएं पहली बार नहीं व्यक्त की गई हैं। पहले भी आयोग ने अनेक बार ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाने वालों को संतुष्ट होने का अवसर दिया है और कोई भी यह दिखा नहीं पाया है कि देश की चुनाव प्रक्रिया में उपयोग में लाई गई भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम मशीनें में जोड़ तोड़ और छेड़छाड़ की जा सकती है। आयोग इस तरह के आरोपों में किसी तरह का तथ्य नहीं पाता और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा लगाये गये आरोपों और व्यक्त की गई शंकाओं को आयोग नामंजूर करता है।

भारत निर्वाचन आयोग सभी नागरिकों को आश्वस्त करता है कि भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और आयोग ईवीएम उपयोग करने वाली निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता से पूरी तरह संतुष्ट है। भारत निर्वाचन आयोग चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी की तैनाती करके निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को और आगे बढ़ायेगा।

हाल में सम्पन्न चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम मशीनों से कथितरूप से छेड़छाड़ के बारे में आयोग को राजनीतिक दलों / उम्मीदवारों की ओर से कोई विशेष शिकायत या ठोस सामग्री नहीं प्राप्त हुई है।

अभी आधारहीन, अनुमानित और बेबुनियाद आरोप लगाये जा रहे हैं और ये सभी आरोप नामंजूर करने के योग्य हैं।

निर्वाचन आयोग इस बात पर बल देना चाहेगा कि उसे हमेशा यह संतुष्टि रही है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। 2004, 2009 तथा 2014 में हुए राष्ट्रव्यापी आम चुनावों सहित पिछले अनेक वर्षों में हुए चुनावों में मशीनों के उपयोग के बारे में आयोग की आस्था कभी नहीं डिगी। आज की तिथि तक कोई यह नहीं दिखा सका है कि निर्वाचन द्वारा उपयोग की जाने वाली ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ किया जा सकता है और इसमें किसी तरह का जोड़ तोड़ किया जा सकता है। जो दिखाया गया है और दिखाये जाने का दावा किया जा रहा है वह नि जी रूप से एकत्रित भारत निर्वाचन आयोग की तरह दिखने वाली मशीने हैं और भारत निर्वाचन आयोग की वास्तविक ईवीएम मशीनें नहीं हैं। भारत निर्वाचन आयोग मुख्यालय में 2009 में असाधारण कदम उठाते हुए ईवीएम मशीनों के बारे में छोटे से छोटे संदेह और गलतफहमियों को दूर करने के लिए डिमॉन्सट्रेशन किया गया था। आज आयोग एक बार फिर ईवीएम मशीनों के अचूक होने के बारे में अपने विश्वास की पूरी तरह पुष्टि करता है। हमेशा कि तरह ईवीएम मशीनें छेड़छाड़ मुक्त हैं।

Prelims:

1. हुनर हब'

सभी राज्यों में 'हुनर हब' की स्थापना की जाएगी ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के उस्ताद दस्तकारों को बाजार-अवसर की सुविधा दी जा सके और वे अपनी विरासत की सुरक्षा कर सकें और उसे प्रोत्साहन दे सकें।

मंत्रालय का उद्देश्य कम से कम ऐसे दो दर्जन राज्यों में 'हुनर हब' स्थापित करने का है, जहां 'हुनर हाट' और अन्य सामाजिक-शैक्षिक तथा कौशल विकास गतिविधियां चलनी हैं।

2. **पहली बार विद्युत का निवल निर्यातक बना भारत**

- ✓ बिजली के सीमा पार व्यापार के लिए भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत पहली बार बिजली के निवल आयातक की बजाए निवल निर्यातक बन गया है।
- ✓ वर्ष 2016-17 (अप्रैल से फरवरी 2017) के दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यामां को 579.8 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात की, जो भूटान से आयात की जाने वाली करीब 558.5 करोड़ यूनिटों की तुलना में 21.3 करोड़ यूनिट अधिक है।
- ✓ पिछली सदी में सीमा पार विद्युत व्यापार प्रारंभ होने के बाद से भारत, भूटान से विद्युत आयात करता रहा है और बिहार और उत्तर प्रदेश से 33 केवी और 132 केवी रेडियल मोड में नेपाल को मामूली विद्युत का निर्यात करता रहा है। भूटान औसत रूप में भारत को 500-550 करोड़ यूनिट विद्युत की आपूर्ति करता रहा है।
- ✓ भारत नेपाल को 11 केवी, 33 केवी और 132 केवी लेवल पर 12000 से अधिक सीमा पार इंटर कनेक्शनों के लिए करीब 190 मेगावाट विद्युत का निर्यात भी करता रहा है। 2016 में 400 केवी लाइन क्षमता (132 केवी क्षमता के साथ संचालित) मुजफ्फरपुर (भारत) - धालखेबर (नेपाल) के चालू हो जाने के बाद नेपाल को विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट का इजाफा हुआ।

GENERAL STUDIES HINDI

- ✓ भारत से बांग्लादेश को किए जाने वाले विद्युत निर्यात में उस समय वृद्धि हुई, जब सितम्बर, 2013 में 400 केवी क्षमता का पहला सीमा पार इंटर-कनेक्शन चालू हुआ। इसी तरह भारत में सुर्जामणिनगर (त्रिपुरा) और बांग्लादेश में दक्षिण कोम्मिल्ला के बीच दूसरा सीमा पार इंटर-कनेक्शन चालू होने के बाद भारत के निर्यात में और बढ़ोतरी हुई।
- ✓ 132 केवी काटिया (बिहार) – कुसाहा (नेपाल) और 132 केवी रक्सौल (बिहार) – पार्वाणीपुर (नेपाल) सीमा पार इंटर-कनेक्शन चालू हो जाने के बाद नेपाल को किए जाने वाले विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है।

Future Prospect

पड़ोसी देशों के साथ कुछ और सीमा पार सम्पर्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिनसे भारत के विद्युत निर्यात में इजाफा होगा।

2. **सीआईआरडीएपी केंद्र**

In news

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र)सीआईआरडीएपी (के बीच हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)एनआईआरडीएंडपीआर (में सीआईआरडीएपी के केंद्र की स्थापना के लिए समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है।

What is this

सीआईआरडीएपी एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी एवं स्वायत्त संस्थान है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की पहल पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन) एफएओ (तथा संयुक्त राष्ट्र की दूसरी संस्थाओं एवं दानदाताओं के सहयोग से 1979 में अस्तित्व में आया। भारत इस संगठन के प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। सीआईआरडीएपी का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और अनुसंधान क्रिया, प्रशिक्षण, सूचना प्रसार आदि के जरिए एकीकृत ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाकर अपने सदस्य देशों के लिए एक सेवारत संस्था के रूप में काम करना है।

सीआईआरडीएपी का इंडोनेशिया के जकार्ता में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय है। दक्षिण पूर्व एशिया) एसओसीएसईए (में सीआईआरडीएपी का यह उप-क्षेत्रीय कार्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में 1997 को स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण अनुसंधान और पायलट परियोजना का संचालन करने के लिए सीआईआरडीएपी के सद्स्यों और इसके स्रोतों की संख्या के विस्तार में मदद करना और उन्हें बढ़ाना था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 46 देश हैं, इसलिए सीआईआरडीएपी में विस्तार की विस्तृत क्षमता है, इसके लिए उन्हें सीआईआरडीएपी केंद्रों की मदद की आवश्यकता होगी।